[2018] 11 एस. सी. आर. 384

एम. सी. मेहता

वी.

भारत और ओआरएस का संघ।

(आई. ए. नं. 2310/2008 , 2378-2379 / 2009 , 2269 , 2270 , 2393 और 2381-2384)

में।

(डब्ल्यू. पी. (ग) 1985 की सं. 4677)

11 सितंबर, 2018

[मदन बी. लोकुर और दीपाक गुप्ता, जे. जे.]

पर्यावरण कानूनः

आवेदक-कंपनी द्वारा निर्माण-यू/एस द्वारा दी गई छूट के अनुसार। 23 हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्र विनियमन अधिनियम, 1975 की अधिसूचना दिनांक 1 (पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम, 1900 के तहत जारी) ने अधिसूचित भूमि (आवेदक की भूमि सहित) पर संवैधानिक गतिविधि पर प्रतिबंध लगा दिया-एक समानांतर अभ्यास में, राज्य द्वारा फरीदाबाद परिसर (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1971 के तहत विकास योजना को अधिसूचित करने के लिए कदम उठाए गए-1984 में दी गई छूट के आधार पर, नगर और ग्राम योजना विभाग ने आवेदक को अपनी निर्माण गतिविधि के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया-प्रधान मुख्य वन संरक्षक का विचार था कि आवेदक की भूमि वन थी या पीएलपी अधिनियम के तहत अधिसूचना जारी होने के साथ इसे वन के रूप में माना जाना आवश्यक था और इसलिए, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत, केंद्र सरकार की अनुमति थी।

आदेशों का स्पष्टीकरण या संशोधन या वापस बुलाना-आयोजितः पी. एल. पी. अधिनियम के तहत अधिसूचना जारी करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बंद क्षेत्र में गैर-वन गतिविधियाँ न की जाएं। अधिसूचना एक स्पष्ट संकेतक है कि ऐसे बंद क्षेत्र वन भूमि होने चाहिए या वन भूमि के रूप में माने जाने चाहिए-इसलिए, इसके तहत अधिसूचित भूमि

पी. एल. पी. अधिनियम को 'वन' और 'वन भूमि' के रूप में माना जाना चाहिए और वास्तव में राज्य निर्माण द्वारा कई दशकों से ऐसा किया जा रहा है।

आवेदक द्वारा की गई गतिविधि स्पष्ट रूप से अधिसूचना दिनांक 18.8.1992 का उल्लंघन थी और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की घोर अवज्ञा में-राज्य की नगर और देश योजना सख्त होने के बावजूद आवेदक की अवैधताओं का समर्थन कर रही थी।

का विस्तार

राज्य के वन विभाग से प्रतिरोध - अधिसूचना का उल्लंघन अभूतपूर्व के रूप में काफी भयावह है

आवेदक द्वारा क्षेत्र को पर्यावरणीय और पारिस्थितिक क्षति पहुंचाई गई है भूमि का निर्माण पहले किया गया था

अधिसूचना की तारीख यानी 18.08.1992 को सुरक्षित रखा जाता है और अधिसूचना की तारीख के बाद निर्माण-अवैध होने के कारण इसे ध्वस्त किया जाना चाहिए-हालांकि, आवेदक को भूमि के लिए क्षतिपूर्ति करने का निर्देश दिया जाता है, उन लोगों को जिन्होंने अधिसूचना की तारीख के बाद निर्माण किया है-आवेदक को ब्याज के साथ राशि वापस करने का निर्देश दिया जाता है, जिन्हें उसने भूमि दी है-'प्रदूषक भुगतान' के सिद्धांत पर आवेदक को क्षतिग्रस्त क्षेत्रों के पुनर्वास के लिए क्षेत्र के विकास में खर्च की गई राशि का 10 प्रतिशत भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।

अभ्यास और प्रक्रियाः

उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर किए गए आवेदन -

-

मार्गदर्शक कारक-आयोजितः किसी आवेदन को दिए गए नामकरण का कोई परिणाम नहीं है-पक्ष में आवेदनों को अलग-अलग नामकरण प्रदान करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है-एक पुनर्विचार याचिका से निपटने में एक आवेदक और न्यायालय पर लगाई गई सीमाओं की कठोरता को आगे बढ़ाना आवेदन का सार क्या महत्वपूर्ण है-यदि यह सार में समीक्षा के लिए एक आवेदन पाया जाता है, तो इसे न्यायालय द्वारा इस तरह से निपटाया जाना चाहिए, और

परिसंचरण।

आवेदनों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने पकड़नाः 1.1 वर्तमान आवेदनों में कुछ भी नहीं है

दूरस्थ रूप से यह सुझाव दिया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों को किसी भी स्पष्टीकरण या संशोधन या वापस लेने की आवश्यकता है। आवेदकों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर इस न्यायालय की कई पीठों द्वारा विचार किया गया है और वे सभी एक समान निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अरावली

पहाड़ियों का पर्यावरणीय और पारिस्थितिक क्षरण बंद होना चाहिए और हर कोई पी. एल. पी. अधिनियम और [2018] 11 एस. सी. आर. के प्रावधानों के तहत जारी अधिसूचना की शर्तों से बंधा है।

18 अगस्त, 1992 की अधिसूचना के तहत बंद भूमि एक वन है और इसे वन माना जाना चाहिए। [पैरा 82] [428-एफ-एच] 1.2 इस न्यायालय द्वारा * गुरदीप सिंह उबन मामले में व्यक्त किया गया विचार केवल संशोधन, स्पष्टीकरण या वापस बुलाने के आवेदनों तक सीमित नहीं हो सकता है। अनुप्रयोगों को अलग-अलग नामकरण प्रदान करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है-कठोरता को कम करें।

और पुनरीक्षण याचिका से निपटने में एक आवेदक और न्यायालय पर लगाई गई सीमाएँ। आवेदनों को निर्देश, पुनः सुनवाई, पुनर्विचार, पुनरीक्षण आदि के लिए आवेदन के रूप में नामित किया जा सकता है और किया जा सकता है। केवल एक कोश को खोलना होगा और एक समतुल्य शब्द खोजना होगा और एक आवेदन को एक उपयुक्त नामकरण देना होगा ताकि इसे खुले न्यायालय में और इसके गुण-दोष पर विचार के लिए लिया जा सके, न कि प्रचलन द्वारा समीक्षा याचिका के रूप में। द.

किसी आवेदन को दिए गए नामकरण का कोई परिणाम नहीं होता है।

आवेदन और यदि यह, सार में, समीक्षा के लिए एक आवेदन पाया जाता है, तो इसे न्यायालय द्वारा इस तरह से और परिसंचरण द्वारा निपटाया जाना चाहिए। [पैरा 83] [429-ए-सी]

1.3 वर्तमान आवेदन और कुछ नहीं बल्कि प्रच्छन्न समीक्षा याचिकाएं हैं और उन्हें इस न्यायालय द्वारा पारित उचित आदेश के बिना खुले न्यायालय में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया जाना चाहिए था। उन्हें पहले प्रसारित किया जाना चाहिए था और समीक्षा याचिकाओं के रूप में निपटा जाना चाहिए था और यदि संबंधित पीठ का विचार था कि उन्हें खुले न्यायालय में सुना जाना आवश्यक है, तो ही उन्हें

खुली अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं। [पैरा 84] [429-डी] 1.4 हालाँकि, अदालत ने इन आवेदनों को योग्यता के आधार पर निपटाने का प्रस्ताव किया है, उन्हें आवेदन के रूप में माना जाता है

इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों का स्पष्टीकरण, संशोधन, वापस बुलाना, पुनर्विचार आदि। [पैरा 84] [429-ई]

* दिल्ली प्रशासन बनाम। गुरदीप सिंह उबन (2000) 7

एससीसी 296: [2000] 2 पूरक। एस. सी. आर. 496-संदर्भित।

2.1 पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम, 1900 (पी. एल. पी. अधिनियम) के प्रावधानों के तहत हरियाणा राज्य द्वारा अधिसूचित भूमि को 'वन' और 'वन भूमि' के रूप में माना जाना चाहिए और वास्तव में हरियाणा राज्य द्वारा कई दशकों से ऐसा व्यवहार किया जा रहा है।

एम. सी. एम. एच. टी. ए. वी. है। भारत और ओआरएस का संघ।

तथ्यात्मक या कानूनी स्थिति को बदलने या बदलने का कोई कारण नहीं है। आवेदक द्वारा की गई निर्माण गतिविधि स्पष्ट रूप से है 18 अगस्त, 1992 की अधिसूचना का उल्लंघन और इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों की घोर अवज्ञा।

[पैरा 2] [396-ई-एफ]

2.2 हरियाणा राज्य का नगर और ग्राम योजना विभाग आवेदक की अवैधताओं का समर्थन करता रहा है।

2.3 घटनाओं का क्रम स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि नगर और देश योजना विभाग इसके पक्ष में था आवेदक अपनी भूमि का उपनिवेशीकरण करता है और चुनिंदा प्रशासनिक आदेशों के आधार पर उसमें निर्माण करता है। काफी तैयारी थी।

इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों की अवहेलना की और पीएलपी अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी 18 अगस्त, 1992 की अधिसूचना की भी अवहेलना की। नगर और देश योजना विभाग की समझ यह प्रतीत होती है कि

पर्यावरण क्षरण, प्रदूषण और भूजल इसकी चिंता नहीं थे। नगर और देश योजना विभाग अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने में अदूरदर्शी और बेशर्म था-निश्चित रूप से आवेदक बनाम पर्यावरण और एक वैधानिक अधिसूचना की अवहेलना में। [पैरा 33] [410-ए-सी]

2.4 पी. एल. पी. अधिनियम के तहत अधिसूचना जारी करने का उद्देश्य

यह सुनिश्चित करना है कि बंद क्षेत्र में खेती, भेड़ और बकरों की चरागाह, भवनों का निर्माण, पशुपालन, चरागाह या मवेशियों को बनाए रखना आदि जैसी कोई गतिविधि न हो। इसलिए,

अधिसूचना एक स्पष्ट संकेत है कि ऐसे बंद क्षेत्र वन भूमि होने चाहिए या वन भूमि के रूप में माने जाने चाहिए ताकि ऐसी आपत्तिजनक गैर-वन गतिविधियाँ उसमें न की जाएं और जो गतिविधियाँ आम तौर पर वनों में नहीं की जाती हैं, वे वन भूमि में निषिद्ध हैं, ताकि ऐसी वन भूमि का संरक्षण और संरक्षण किया जा सके। एक अधिसूचना

पी. एल. पी. अधिनियम के तहत भूमि को वन भूमि में परिवर्तित नहीं किया जाता है लेकिन इसे इस तरह से मान्यता देता है या कम से कम इसे इस तरह से व्यवहार करने की आवश्यकता होती है। [पैरा 75] [426-ए-सी] [2018] 11 एस. सी. आर.

2.5 विभिन्न मामलों में हरियाणा राज्य के अधिकारियों द्वारा दायर हलफनामों को देखते हुए, यह स्पष्ट और सुसंगत है कि भूमि को अधिसूचित किया गया है।

पी. एल. पी. अधिनियम के तहत वन भूमि है और उस पर कोई निर्माण नहीं किया जा सकता है, लेकिन यदि कुछ कमजोर किया जाना है, तो यह केवल 17 अप्रैल, 1984 और 18 अगस्त, 1992 के बीच की अवधि के लिए होना चाहिए। नगर और देश योजना विभाग के आचरण और पत्राचार से पता चलता है कि यह अनुमति देने के लिए बहुत उत्सुक था

बंद क्षेत्रों में निर्माण। इस प्रकार, यह श्रेणीबद्ध था

अरावली पहाड़ियों के पर्यावरणीय क्षरण की सिफारिश करना। हरियाणा राज्य के हलफनामों के अलावा, इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर * * गोडावर्मन मामले और * * * एम. सी. में पारित विभिन्न आदेश। मेहता मामला यह बहुत स्पष्ट करता है कि पी. एल. पी. अधिनियम के तहत बंद क्षेत्र वन और वन भूमि हैं और इन्हें वन भूमि के रूप में माना जाना चाहिए। [पारस 91,92 और 93] [431-एफ-एच; 432-ए-बी]

2.6 पर्यावरण और पानी की उपलब्धता को इन सभी चिंताओं के बावजूद, तथ्य यह है कि आज बडकल झील हड्डी सूखी है और 'झील' में पानी नहीं है। यह अदालत को स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आज बिल्कुल नहीं है बडकल झील में पानी। पर्यावरण को नुकसान हुआ है और अपरिवर्तनीय प्रतीत होता है। [पैरा 98] [433-जी-एच; 434-ए]

2.7 अरावली पहाड़ियों के पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए इस न्यायालय द्वारा दिखाई गई चिंता के बावजूद, मौन समर्थन

टाउन एंड कंट्री प्लानिंग द्वारा आवेदकों को दिया गया

हरियाणा राज्य विभाग ने वन विभाग के प्रयासों के साथ-साथ इस न्यायालय के आदेशों को पूरी तरह से दूषित कर दिया। यह ऐसा हुआ कि दिल्ली रिज प्रबंधन बोर्ड को एक आवेदन दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा जिसमें कहा गया था कि रिज में भूजल की निकासी और पम्पिंग गंभीर चिंता का विषय था। इसलिए यह प्रार्थना की गई कि हरियाणा सरकार को रिज के हरियाणा की ओर दिल्ली-हरियाणा सीमा से 5 किलोमीटर के क्षेत्र में सभी खनन गतिविधियों और भूजल की पम्पिंग को रोकने का निर्देश दिया जाए। इस आवेदन के परिणामस्वरूप इस न्यायालय ने 6 मई, 2002 को एक आदेश पारित किया जिसमें सभी खनन गतिविधियों और भूजल की पम्पिंग को रोकने का निर्देश दिया गया। इस आदेश के बाद इस न्यायालय द्वारा 22 जुलाई, 2002 को एक और आदेश पारित किया गया जिसमें ई. पी. सी. ए. को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी, जो उसने 9 अगस्त, 2002 को इस प्रभाव से दी कि 6 मई, 2002 को पारित आदेश की पुष्टि की जानी चाहिए। [पैरा 101] [434-एफ-एच; 435-ए-बी] एम. सी. मेहता बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ।

2.8 इसके बाद, ई. पी. सी. ए. ने केंद्रीय भूजल बोर्ड से प्राप्त जानकारी के आधार पर 21 अक्टूबर, 2002 को एक और रिपोर्ट दी कि खनन गतिविधि

यह चल रहा था और खदानें भूजल स्तर से नीचे काम कर रही थीं, जिसके परिणामस्वरूप भूजल स्रोतों का दोहन और विनाश हो रहा था। [पैरा 102] [435-सी]

2.9 इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की खुल्लम-खुल्ला अवहेलना के परिणामस्वरूप केंद्रीय अधिकार प्राप्त का गठन हुआ। इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 17 सितंबर, 2002 को समिति (सी. ई. सी.)। सीईसी

समय-समय पर इस न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत की। [पैरा 103] [435-डी]

2.10 इस न्यायालय ने विशेष रूप से इस सवाल पर खुद को संबोधित किया कि क्या पी. एल. पी. अधिनियम के तहत बंद क्षेत्र किसी भी प्रकार के 'वन' हैं। इस न्यायालय ने नोट किया कि राज्य का वन विभाग

हरियाणा ने अपने अभिलेखों में ऐसे क्षेत्रों को 'वन' के रूप में दिखाया और ऐसे क्षेत्रों को 'वन' के रूप में माना; इस न्यायालय में लंबित मामलों में हरियाणा राज्य की ओर से भी शपथ पत्र दायर किए गए थे; इस न्यायालय द्वारा 12 दिसंबर, 1996 के अपने आदेश में 'वन' और 'वन भूमि' शब्द को स्पष्ट रूप से समझाया गया था और अंत में हरियाणा सरकार ने स्वयं केंद्र सरकार से बंद की गई भूमि को 'वन' के रूप में मोड़ने की अनुमति मांगी थी।

गैर-वन उद्देश्यों के लिए पी. एल. पी. अधिनियम के तहत अधिसूचनाएँ।

इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि हरियाणा राज्य अब यह तर्क नहीं दे सकता कि पी. एल. पी. अधिनियम के तहत बंद क्षेत्र वन नहीं हैं। इस न्यायालय ने कहा कि पी. एल. पी. अधिनियम के तहत बंद क्षेत्रों का उपयोग केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना गैर-वन उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980। [पैरा 105] [435-ई-एच; 436-ए]

2.11 हरियाणा राज्य और आवेदकों को इस न्यायालय की कार्यवाही की पूरी जानकारी थी, लेकिन उन्होंने नहीं दिखाया

क्षेत्र के पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए चिंता। आवेदक के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण था कि वह अपने द्वारा दायर समीक्षा याचिका में पूर्ण तथ्यों के साथ सामने आया हो, विशेष रूप से 18 अगस्त, 1992 की अधिसूचना जारी करने का तथ्य। इस भौतिक तथ्य का खुलासा करने में विफलता इस न्यायालय में आवेदक द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को दूषित करती है। [पारस 109,110] [436-जी-एच; 437-ए] [2018] 11 एस. सी. आर.

2.12 हरियाणा राज्य द्वारा हलफनामे पर यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अधिसूचना की तारीख, दिनांक 18 अगस्त, 1992 से विषय भूमि को वन माना जा रहा था और इसे सरकारी अभिलेखों में वनों की सूची में भी शामिल किया गया था। हरियाणा राज्य द्वारा गोदावर्मन मामले में दायर हलफनामे में भी इसे जंगल के रूप में दिखाया गया था। प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा 27 जनवरी, 2006 को निदेशक, नगर और देश योजना विभाग को संबोधित एक पत्र में यह भी कहा गया था कि विषय भूमि वन भूमि थी। वास्तव में, उक्त निदेशक ने आवेदक से जंगल को मोड़ने की मांग करने की मांग की थी 27 जनवरी, 2006 और 27 जून, 2006 के पत्रों द्वारा गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए भूमि, लेकिन आवेदक ने ऐसा नहीं किया। दोनों पत्रों में आवेदक को विशेष रूप से बताया गया था कि आवेदक द्वारा किए गए निर्माण अवैध थे, लेकिन जाहिर है, कोई प्रभाव नहीं था। [पैरा 113] [437-एफ-एच]

2.13 वर्तमान मामले में स्पष्ट रूप से इंगित करने के लिए बहुत सारी सामग्री है कि पी. एल. पी. अधिनियम के तहत बंद भूमि वन भूमि है या किसी भी स्थिति में, वन भूमि के रूप में माना जाना आवश्यक है। कई

पी. एल. पी. अधिनियम के तहत जारी अधिसूचनाओं को अदालत के संज्ञान में लाया गया है जो कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित करती हैं जिन्हें वन भूमि पर नहीं किया जाना चाहिए। मुख्य सचिव द्वारा दायर हलफनामों सहित हरियाणा राज्य के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा दायर हलफनामों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पी. एल. पी. अधिनियम के तहत बंद की गई भूमि वन भूमि है। इसी तरह, इस न्यायालय द्वारा इसी आशय के निर्णय और आदेश पारित किए गए हैं और वन विभाग सहित हरियाणा राज्य का आचरण और नगर और ग्राम योजना विभाग के साथ इसका संबंध इस बात का स्पष्ट संकेत है कि पी. एल. पी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत बंद की गई भूमि वन या वन भूमि के अलावा और कुछ नहीं है। [पैरा 117] [438-एफ-जी; 439-ए] 2.14 18 अगस्त, 1992 की अधिसूचना की वैधता या शुद्धता को किसी ने चुनौती नहीं दी है। शुद्धता या

अधिसूचना की वैधता को बिना किसी प्रत्यक्ष हमले के चुनौती नहीं दी जा सकती है। एक संपार्श्विक हमले की अधिक निश्चित रूप से अनुमति नहीं दी जा सकती है इस न्यायालय के एक अन्य निर्णय पर भरोसा करके, जिसका वर्तमान मामले के तथ्यों से कोई लेना-देना नहीं है। दूसरी ओर, आवेदकों ने इस न्यायालय द्वारा पारित प्रत्येक महत्वपूर्ण आदेश को या तो समीक्षा याचिका के माध्यम से या एम. सी. एम. ई. एच. टी. ए. बनाम के माध्यम से 'चुनौती' दी है।

भारत और ओआरएस का संघ।

अंतर्वर्ती अनुप्रयोग। आवेदक इस तरह के हर साहसिक कार्य में असफल रहे हैं। दूसरी ओर, आवेदकों ने इस न्यायालय द्वारा पारित प्रत्येक महत्वपूर्ण आदेश को या तो समीक्षा याचिका के माध्यम से या उसके माध्यम से 'चुनौती' दी है।

अंतर्वर्ती अनुप्रयोग। आवेदक इस तरह के हर साहसिक कार्य में असफल रहे हैं। [पारस 119,120] [439-डी-एफ] 2.15 मामले के सभी तथ्यों और इस विषय पर कानून के समग्र दृष्टिकोण को लेते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कांत एन्क्लेव एक

वन है या वन भूमि है या वन या वन भूमि के रूप में माना जाना आवश्यक है और बिल्कुल कोई निर्माण गतिविधि नहीं हो सकती है

2.16 यह कहना भी सही नहीं है कि खसरा संख्या को शामिल किया गया है। 9 18 तारीख की अधिसूचना में गाँव अनंगपुर में 16 तक अगस्त, 1992 एक गलती थी और हरियाणा राज्य का हमेशा यह इरादा रहा है कि वह इस भूमि को पी. एल. पी. अधिनियम की कठोरता से बाहर रखे। यदि वास्तव में हरियाणा राज्य का इरादा कांत एन्क्लेव को 18 अगस्त, 1992 की अधिसूचना के दायरे से बाहर रखने का था, तो राज्य को या तो शुद्धिपत्र जारी करने या नई अधिसूचना जारी करने या कुछ लेने से कोई नहीं रोक सका।

खसरा संख्या को हटाने के लिए सकारात्मक कदम। 9 अधिसूचना की कठोरता से गाँव अनंगपुर में 16 तक। [पैरा 124] [440-ई-जी]

2.17 यह सही नहीं है कि 18 अगस्त, 1992 की अधिसूचना विनियमित क्षेत्रों पर लागू नहीं थी।

यू/एस। 29 (7) (1) फरीदाबाद परिसर (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1971। उक्त अधिनियम की धारा 2 (च) के संदर्भ में, एक नियंत्रित क्षेत्र से उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत घोषित क्षेत्र अभिप्रेत है -

एक नियंत्रित क्षेत्र बनें। अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अनुसार, फरीदाबाद-बल्लभगढ़ क्षेत्र में स्थानीय अधिकारियों की एक बहुलता थी जिसके परिणामस्वरूप एकीकृत किया गया।

इस क्षेत्र का विकास संभव नहीं था। नतीजतन, इस क्षेत्र के प्रशासन के लिए एक ऐसी व्यवस्था तैयार करना आवश्यक था जो तेजी से और एकीकृत विकास के उद्देश्यों को पूरा करे और अव्यवस्थित विकास को समाप्त करे। उक्त अधिनियम का उद्देश्य इस उद्देश्य को प्राप्त करना था। स्पष्ट रूप से, इसका 18 अगस्त, 1992 की अधिसूचना से कोई लेना-देना नहीं है।

उस समय लागू किसी भी कानून से संबंधित उक्त अधिनियम की धारा 29 (1)-18 अगस्त, 1992 की अधिसूचना बहुत कुछ सामने आई।

यह बाद में लागू नहीं हुआ था जब उक्त अधिनियम लागू किया गया था। [पारस 125,126 और 127] [440-एच; 441-ए, ई-जी]

18 अगस्त, 1992 की बाद की अधिसूचना द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से आवेदक या कांत एन्क्लेव। उक्त अधिनियम की पी. एल. पी. अधिनियम के प्रावधानों के लिए कोई प्रासंगिकता या संदर्भ नहीं है। [पैरा 128] [441-एच; 442-सी-डी] 2.19 यह किसी का मामला नहीं है और वास्तव में यह किसी का मामला नहीं हो सकता है कि 25 अक्टूबर के बाद किसी भी क्षेत्र को वन घोषित नहीं किया जा सकता है।

1980. यदि यह व्याख्या दी गई थी, तो इस न्यायालय द्वारा 12 दिसंबर, 1996 को पारित आदेश का पूरा उद्देश्य अर्थहीन हो जाएगा क्योंकि इस आदेश के संदर्भ में ही वन भूमि की पहचान करने का निर्देश दिया गया था, भले ही उस भूमि को वन भूमि के रूप में मान्यता न दी गई हो। इस तरह की व्याख्या को स्वीकार करने से पी. एल. पी. अधिनियम भी समाप्त हो जाएगा।

[पैरा 129] [442-सी-डी] 2.20 इस न्यायालय के दिनांक 17 मार्च, 1997 के आदेश, जैसा कि 13 मई, 1998 को संशोधित किया गया था, ने केवल निर्माण की अनुमति दी।

कानून के अनुसार और 18 अगस्त, 1992 की अधिसूचना के अनुसार नहीं। यह किसी भी आवेदक का मामला नहीं है कि इस न्यायालय के आदेशों ने अधिसूचना को पूरी तरह से मंजूरी दे दी और इसे वस्तुतः रद्द कर दिया, भले ही उस समय या आज भी इसे कभी चुनौती नहीं दी गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस न्यायालय के आदेश के बावजूद बहुत बड़े आवासीय परिसरों का निर्माण किया गया है, जिसने आवेदकों को उनकी सनक और कल्पना के अनुसार निर्माण करने की कोई पूर्ण अनुमति नहीं दी थी। उन कारणों के लिए जो बिल्कुल स्पष्ट नहीं हैं, इस न्यायालय के आदेशों के बावजूद संबंधित अधिकारियों द्वारा इस तरह के निर्माण की अनुमति दी गई थी और भले ही 18 अगस्त, 1992 की अधिसूचना ने भूमि को तोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इन परिस्थितियों में यह मानना मुश्किल है कि आवेदकों और संबंधित अधिकारियों ने ईमानदारी से काम किया था। [पैरा 131] [442-एफ-एच; 443-ए]

2.21 कांत एन्क्लेव में आवेदक द्वारा बनाए गए कुल लगभग 1600 भूखंडों में से, परिवहन विलेख एम. सी. एम. ई. एच. टी. ए. बनाम.

भारत और ओआरएस का संघ।

केवल 284 आवासीय भूखंडों और तीन वाणिज्यिक भूखंडों के संबंध में निष्पादित किए गए हैं। आवासीय भूखंडों पर केवल 33 घरों का निर्माण किया गया है और ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें से एक भी एक मंजिला झोपड़ी नहीं है। 18 अगस्त, 1992 की अधिसूचना के उल्लंघन की सीमा काफी भयावह है और कोई भी केवल अभूतपूर्व पर्यावरणीय और पारिस्थितिक क्षति की कल्पना कर सकता है

आवेदकों द्वारा क्षेत्र के कारण। [पैरा 132,133] [443-बी-सी; 444-ए]

बी. एस. संधू बनाम भारत सरकार और अन्य (2014) 12 एससीसी 172: [2014] 6 एससीआर 329-प्रतिष्ठित।

** टी. एन. गोडावर्मन बनाम। भारत संघ (2008) 16 एस. सी. सी. 401; * * * एमसी. मेहता बनाम। भारत संघ (1996) 8 एससीसी 462: [1996] 2 पूरक। एससीआर 806; * * टी. एन. गोडावर्मन बनाम। भारत संघ (1997) 2 एस. सी. सी. 267 [1996] 9 पूरक। एस. सी. आर. 982; पर्यावरण जागरूकता मंच v. जम्मू और कश्मीर राज्य [2011] 14 एस. सी. सी 265; * * * एम. सी. मेहता बनाम। भारत संघ (2004) 12 एससीसी 118: [2004] 3 एससीआर 128; एम. सी मेहता बनाम भारत संघ और ओआरएस। (2008)

17 एस. सी. सी. 295: [2008] 8 एस. सी. आर. 828 संदर्भित है।

3.1 दो श्रेणियों के व्यक्ति हैं जिन्हें आवेदक द्वारा सवारी के लिए ले जाया गया है। पहली श्रेणी में वे लोग शामिल हैं जिन्हें आवेदक द्वारा भूमि हस्तांतरित की गई है और

दूसरी श्रेणी में वे लोग शामिल हैं जिन्हें भूमि हस्तांतरित की गई है। और निर्माण किए हैं। जहाँ तक व्यक्तियों की पहली श्रेणी की बात है

संबंधित है, उन्हें जो राहत दी जा सकती है, वह निवेश की तारीख से आवेदक द्वारा पूरी तरह से देय 18 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के साथ उनके निवेश का पूरा धनवापसी है। जहां तक दूसरी श्रेणी के व्यक्तियों का संबंध है, हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्र विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 23 के तहत 17 अप्रैल, 1984 को आवेदक को दी गई छूट के अनुसार कांत एन्क्लेव में किए गए निर्माण को बचाने या अस्तित्व में रखने की अनुमति देने के लिए कार्रवाई की जाती है, लेकिन 18 अगस्त, 1992 से पहले जब पीएलपी अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिसूचना लागू हुई थी। 18 अगस्त, 1992 के बाद किया गया कोई भी निर्माण स्पष्ट रूप से अवैध और कानून के विपरीत है और इसे ध्वस्त किया जाना चाहिए।

केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुशंसित। 17 अप्रैल, 1984 और 18 अगस्त, 1992 के बीच किए गए निर्माण बाधित नहीं हैं। [पारस 137-139] [445-C-H] [2018] 11 एस. सी. आर.

3.2 वर्तमान मामले में, आवेदक के होने के बावजूद सार्थक नागरिकों को भारी मात्रा में निवेश करने के लिए लगभग ठगा गया है

और हरियाणा राज्य का नगर और ग्रामीण विभाग 18 अगस्त, 1992 की वैधानिक अधिसूचना और अधिसूचना द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से पूरी तरह से अवगत होना। आवेदक

केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों का अवैध और उल्लंघन होगा। इसके बावजूद, आवेदक और हरियाणा राज्य के नगर और ग्राम विभाग के मौन या अन्यथा समर्थन से कांत एन्क्लेव में निर्माण किए गए (या बनाने की अनुमति दी गई)। इसके लिए उन्हें भुगतान करना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि जिन्होंने बाद में निर्माण किया है 18 अगस्त, 1992 पूरी तरह से निर्दोष हैं। फिर भी, हरियाणा राज्य के नगर और ग्राम योजना विभाग द्वारा निभाई गई भूमिका को देखते हुए उन्हें क्षतिपूर्ति करना आवश्यक है। उन्हें भूमि के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए, आवेदक को उनके निवेश का पूरा धनवापसी देने का निर्देश दिया जाता है। [पैरा 141] [446-सी-एफ]

गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य (2014) 3 एससीसी 430: [2014] 2

एस. सी. आर. 203-पर निर्भर।

3.3 जहाँ तक निर्माण की लागत का संबंध है, अस्थायी रूप से इसकी मात्रा रु। 50 एक लाख। इसका भुगतान उन लोगों को किया जाएगा जिन्होंने 18 अगस्त, 1992 के बाद निर्माण किया और जिनके निर्माण को ध्वस्त करने का निर्देश दिया जाता है। आर. कांत एंड कंपनी और हरियाणा राज्य के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा समान अनुपात में राशि का भुगतान किया जाएगा। अगर किसी का निर्माण हमारे आदेशों को देखते हुए ध्वस्त कर दिया जाता है

यह न्यायालय, परिमाणीकरण से संतुष्ट नहीं है, वह व्यक्ति आर. कांत एंड कंपनी और हरियाणा राज्य के नगर और देश योजना विभाग के खिलाफ कानून के अनुसार और वर्तमान निर्णय की तारीख से उत्पन्न होने वाली कार्रवाई के कारण के साथ दीवानी मुकदमे के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र है। [पैरा 142] [446-एफ-एच; 447-ए] एम. सी. मेहता बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ।

3.4 प्रदूषक भुगतान सिद्धांत एक संपूर्ण सिद्धांत है

जिसे सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया है और अपनाया और लागू भी किया गया है। अरावली पहाड़ियों को हुई क्षति, अपरिवर्तनीय है। हालांकि, शायद कुछ नुकसान को ठीक किया जा सकता है। आवेदक के अनुसार, उसने कांत एन्क्लेव के विकास में 50 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। आवेदक को 10 प्रतिशत जमा करने की आवश्यकता होना उचित होगा। क्षतिग्रस्त क्षेत्रों के पुनर्वास के लिए इस राशि (यानी 5 करोड़) में से। [पैरा 143] [447-बी-डी]

इंडियन काउंसिल फॉर एनविरो-लीगल एक्शन v. भारत संघ

कल्याण मंच v. भारत संघ (1996) 5 एससीसी 647: [1996] 5 पूरक। एस. सी. आर. 241 पर निर्भर

संदर्भ

मामला कानून

(2008) 16 एस. सी. सी. 401

संदर्भित किया गया है

पै

रा 11

[1996] 2 पूरक। एससीआर 806

संदर्भित किया गया है

पै

रा 22

[1996] 9 पूरक। एससीआर 982

संदर्भित किया गया है

पै

रा 34

(2011) 14 एससीसी 265

पै

रा 36

संदर्भित किया गया है

[2004] 3 एससीआर 128

संदर्भित किया गया है

पै

रा 41

[2014] 6 एससीआर 329

पै

रा 67

प्रतिष्ठित

[2008] 8 एससीआर 828

संदर्भित किया गया है

पै

रा 73

[2000] 2 पूरक। एससीआर 496

संदर्भित किया गया है

पै

रा 78

[2014] 2 एससीआर 203

उस पर भरोसा करें

पै

रा 141

[1996] 2 एससीआर 503

उस पर भरोसा करें

पै

रा 143

[1996] 5 पूरक। एससीआर 241

उस पर भरोसा करें

पै

रा 143

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः आई. ए. No.2310/2008,

आई. ए. नं. 2378-2379 / 2009 , आई. ए. सं. 2269, आई. ए. सं. 2270, आई. ए. सं. 2393, आई. ए. सं. 2381-2384 1985 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 4677 में

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत

इन रेः कांत एन्क्लेव मामले

के साथ

आई. ए. नं. 2310-2311 1995 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 202 में।

8] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनिल ग्रोवर, ए. ए. जी., संजय आर. हेगड़े, कपिल सिब्बल, एस. बी. उपाध्याय, रंजीत कुमार (ए. सी.), वरिष्ठ अधिवक्ता। , ए. डी. एन. राव (एसी), ऋषि राज शर्मा, सुदिप्तो सरकार, अनिल कुमार मिश्रा, प्रांजल किशोर, डी. सी. पांडे,

राजीव गुरुम, सुश्री नूपुर सिंघल, सतीश कुमार, संजय कुमार विसेन, पवन उपाध्याय, सुश्री अनीशा उपाध्याय, सर्वजीत प्रताप सिंह, निशांत कुमार। , एस. वसीम ए. कादरी, आर. बालासुब्रमण्यम, सचिन शर्मा, सुश्री सुभाशिनी सेन, प्रणय रंजन, डी. एल. चिदानंद, रितेश कुमार, राज बहादुर, गुरमीत सिंह मक्कर, शिवाजी एम. जाधव, टी. वी. जॉर्ज, सुश्री शर्मिला उपाध्याय, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

मदन बी. लोकुर, जे. 1. मूल आवेदनों के इस समूह में जो प्रमुख सवाल उठता है, वह यह है कि क्या हरियाणा राज्य में पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम, 1900 (संक्षेप में पी. एल. पी. अधिनियम) के प्रावधानों के तहत अधिसूचित भूमि वन भूमि है या इसे वन भूमि के रूप में माना जाना आवश्यक है। यदि हां, तो क्या इस भूमि पर आवेदक आर. कांत एंड कंपनी द्वारा किया गया निर्माण पी. एल. पी. अधिनियम, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों और इस न्यायालय के फैसलों के तहत जारी 18 अगस्त, 1992 की अधिसूचना का उल्लंघन है।

2. इन दोनों प्रश्नों का हमारा उत्तर सकारात्मक है। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि हरियाणा राज्य द्वारा अधिसूचित भूमि

पीएलपी अधिनियम के प्रावधानों को 'वन' और 'वन भूमि' के रूप में माना जाना चाहिए और वास्तव में हरियाणा राज्य द्वारा कई दशकों से ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। तथ्यात्मक या कानूनी स्थिति को बदलने या बदलने का कोई कारण नहीं है। आवेदक आर. कांत एंड कंपनी द्वारा की गई निर्माण गतिविधि स्पष्ट रूप से 18 अगस्त, 1992 की अधिसूचना का उल्लंघन है और इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों की घोर अवज्ञा है। दुर्भाग्य से, हरियाणा राज्य का नगर और ग्राम योजना विभाग हरियाणा राज्य के वन विभाग के प्रबल प्रतिरोध के बावजूद आवेदक की अवैधताओं का समर्थन कर रहा है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि दिन के अंत में, हरियाणा राज्य बहुत खराब स्थिति में सामने आता है और हरियाणा राज्य के मुख्य सचिव द्वारा समय-समय पर वन विभाग का समर्थन करते हुए हलफनामे दायर करने के बावजूद अपने परस्पर विरोधी और आत्म-विनाशकारी रुख के लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

3. इसका दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद परिणाम यह है कि पर्यावरण और एम. सी. एम. ई. एच. टी. ए. बनाम के लिए किसी भी चिंता की पूर्ण कमी के कारण।

भारत और ओआरएस का संघ। [मदन बी. लोकुर, जे.]

अरावली पहाड़ियों में आवेदक जैसे प्रभावशाली उपनिवेशवादियों द्वारा किए गए पारिस्थितिक क्षरण और जो हरियाणा में एक बहुत मजबूत खनन लॉबी प्रतीत होता है, अरावली पहाड़ियों को हुए नुकसान को अपरिवर्तनीय है।

न केवल आने वाली पीढ़ियों को इस पर्यावरण क्षरण की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, बल्कि वर्तमान पीढ़ी को भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है

पर्यावरणीय और पारिस्थितिक क्षरण के लिए एक भारी कीमत क्योंकि केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा भविष्यवाणी के अनुसार क्षेत्र में पानी की भारी कमी है। इसके अलावा, जो कभी लोकप्रिय था

पर्यटन स्थल बडकल झील अब गायब हो गई है और पूरा जल निकाय सूख गया है। कौन से अधिक गंभीर हैं?

आने वाले वर्षों में क्या परिणाम महसूस किए जाएंगे, यह केवल समय और प्रकृति ही बताएगी।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

4. 17 अप्रैल, 1984 को राज्य के नगर और ग्राम योजना विभाग के आयुक्त और सचिव को भेजे गए एक पत्र के माध्यम से

हरियाणा ने आवेदक आर. कांत एंड कंपनी को खसरा संख्या में एक फिल्म स्टूडियो और संबद्ध परिसर स्थापित करने के लिए छूट प्रदान की। 9 फरीदाबाद जिले के गाँव अनंगपुर में 16 (आवेदक के स्वामित्व में) तक। यह छूट हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्र विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 23 के तहत कुछ नियमों और शर्तों पर दी गई थी। हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्र विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 23 इस प्रकार हैः

" 23. छूट देने की शक्ति-यदि सरकार की राय है कि इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के संचालन से अनुचित कठिनाई या परिस्थितियां मौजूद हैं जो इसे करना समीचीन बनाती हैं, तो वह ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा लागू कर सकती है, किसी भी वर्ग के व्यक्तियों को छूट दे सकती है या

इस अधिनियम के सभी या किसी भी प्रावधान के क्षेत्र।

5. छूट की वैधता हमारे सामने नहीं है और इसलिए हमें छूट के कारणों में गहराई से जाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हो, ऐसा प्रतीत होता है

छूट। आवेदक ने कारण दर्शाओ नोटिस का विरोध किया और हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा सुनवाई की गई जो नगर और देश योजना विभाग के प्रभारी मंत्री थे। एक आदेश से दिनांक 11 जुलाई, 1990 के कारण दर्शाओ नोटिस को हटा दिया गया था, लेकिन आवेदक पर कुछ और नियम और शर्तें लागू की गई थीं। यह [2018] 11 एस. सी. आर. के लिए महत्वपूर्ण है।

ध्यान दें कि मुख्यमंत्री द्वारा अपने आदेश में उल्लिखित मुद्दों में से एक पानी की उपलब्धता से संबंधित है। इसका महत्व बाद में स्पष्ट किया जाएगा। वर्तमान में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि पैराग्राफ 9 में दर्ज आदेश इस प्रकार हैः

" निदेशक, नगर और ग्राम योजना विभाग ने आगे पूछा कि क्या अगले 20 से 25 वर्षों के लिए इस आबादी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पीने योग्य पानी की उपलब्धता के संबंध में कोई तकनीकी और भौतिक अध्ययन किया गया है। निदेशक, नगर और देश के प्रश्न के उत्तर में योजना विभाग ने परिसर के प्रस्तावित घनत्व और पीने के पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के तरीके के संबंध में, कंपनी के प्रतिनिधि ने बताया कि उन्होंने पहले ही उस क्षेत्र के लिए जल विज्ञान संबंधी सर्वेक्षण करवा लिया है जहां से यह उभरा है

स्थल में, गहरे स्तर पर जलभृत उपलब्ध हैं जिनका लगभग 30,000 की प्रस्तावित आबादी के लिए जल आपूर्ति की मांग को पूरा करने के लिए पूरी तरह से उपयोग किया जाएगा। निदेशक नगर और देश योजना विभाग। यह पाया गया कि चूंकि कंपनी को पूरा होने के बाद पांच साल की अवधि के लिए स्टूडियो-सह-संबद्ध परिसर का रखरखाव करना आवश्यक है, इसलिए जलभृतों से पानी की उपलब्धता सर्वोपरि है क्योंकि अंततः इस विशेष परिसर के रखरखाव और रखरखाव की जिम्मेदारी फरीदाबाद परिसर प्रशासन या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण के पास होगी। इसलिए, कंपनी को इस विशेष पहलू को ध्यान में रखना चाहिए। [हमारे द्वारा दिया गया जोर]।

6. 11 जुलाई, 1990 के अपने आदेश में मुख्यमंत्री द्वारा लगाए गए नियमों और शर्तों को स्वीकार करने में आवेदक को काफी समय लगा। आखिरकार, आवेदक ने नियमों और शर्तों को स्वीकार कर लिया और 27 मार्च, 1992 को हरियाणा राज्य के साथ एक समझौता किया। समझौते के नियमों और शर्तों में से एक यह था कि आवेदक पांच साल की अवधि के भीतर एक फिल्म स्टूडियो और संबद्ध परिसर की पूरी परियोजना को पूरा कर लेगा; समूह आवास के लिए निर्धारित क्षेत्र के विस्तार पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जा सकता है। यह किसी का मामला नहीं है कि पूरी परियोजना पांच साल की अवधि के भीतर पूरी की गई थी और यह सुझाव देने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि समूह आवास के लिए आवेदक को कोई विस्तार दिया गया था।

एम. सी. मेहता बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [मदन बी. लोकुर, जे.]

पी. एल. पी. अधिनियम और अन्य विकास के तहत अधिसूचना

7. अरावली पहाड़ी क्षेत्रों के साथ-साथ शिवालिक पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यावरण क्षरण का मुद्दा हरियाणा राज्य के लिए चिंता का विषय था, जैसा कि होना चाहिए। इस संबंध में पीएलपी अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूरजकुंड और बडकल झील के बीच के क्षेत्र को बंद करने के लिए बैठकें की गईं और निर्णय लिए गए। इन चर्चाओं और पी. एल. पी. अधिनियम के संदर्भ का समग्र उद्देश्य खनन और उत्खनन के साथ-साथ निर्माण गतिविधि के कारण क्षेत्र के पर्यावरणीय और पारिस्थितिक क्षरण को रोकना था।

8. 12 सितंबर, 1990 को वनरोपण के उद्देश्य से कुछ क्षेत्रों, विशेष रूप से उन क्षेत्रों को बंद करने के संदर्भ में एक बैठक आयोजित की गई थी।

जहाँ खनन गतिविधि चल रही थी। नगर और देश योजना विभाग द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि उपनिवेशवाद के लिए क्षेत्रों को निर्धारित किया जाए।

बंद नहीं किया जाना चाहिए लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया और यह निर्णय लिया गया कि ऐसे क्षेत्रों की सूची प्रदान की जानी चाहिए या आगे के निर्देशों के लिए उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अंततः सूची तैयार की गई और इसमें आवेदक की भूमि शामिल थी, लेकिन इस संबंध में आगे कुछ नहीं हुआ।

9. यह हमारे सामने दस्तावेजों को पढ़ने से प्रतीत होता है।

(विशेष रूप से 9 जून, 1993 को उप वन संरक्षक, फरीदाबाद द्वारा फरीदाबाद परिसर प्रशासन के मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्रशासक और जिला नगर योजनाकार, फरीदाबाद को भेजा गया एक पत्र) कि 1988 में किसी समय हरियाणा राज्य ने बडकल झील और सूरजकुंड पर्यटक परिसरों के बीच और उसके आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। यह भी प्रतीत होता है कि उच्च स्तरीय समिति ने अगस्त 1988 और 1990 के बीच कई बैठकें कीं और जाहिर तौर पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसमें सिफारिश की गई थी कि इन दोनों परिसरों के बीच अरावली पहाड़ी क्षेत्र को पीएलपी अधिनियम के प्रावधानों के तहत लाया जाना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके परिणामस्वरूप पीएलपी अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के तहत 18 अगस्त, 1992 को एक अधिसूचना जारी की गई। हमने हरियाणा राज्य के विद्वान वकील से हमें रिपोर्ट और सिफारिशों की एक प्रति प्रदान करने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्हें किसी भी कारण से प्रदान नहीं किया गया है।

10. अधिसूचना में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी भूमि को साफ करने या तोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जो सामान्य रूप से खेती के तहत नहीं है। भूमि को तोड़ने की अनुमति

प्रभागीय वन अधिकारी, फरीदाबाद [2018] 11 एस. सी. आर. द्वारा खेती की अनुमति दी जा सकती है।

वन प्रभाग। किसी भी स्थिति में, संभागीय वन अधिकारी द्वारा भी निर्माण गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा सकी।

11. हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि खेती के लिए भूमि को विभाजित करने की अनुमति देने में हरियाणा राज्य का एक कारण यह प्रतीत होता है कि हरियाणा मुख्य रूप से कृषि प्रधान राज्य है, जिसके कुल भूमि क्षेत्र का 83 प्रतिशत भाग खेती के अधीन है। यह 25 फरवरी, 1997 के श्री एस. के. माहेश्वरी, आई. ए. एस., आयुक्त और हरियाणा सरकार के सचिव के हलफनामे में पाया जाता है, जो टी. एन. गोडावर्मन बनाम के मामले में इस अदालत में दायर किया गया था। भारत संघ। 1 किसी भी मामले में

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, संभागीय वन अधिकारी द्वारा भी निर्माण गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा सकी। 12. 18 अगस्त, 1992 की अधिसूचना (जिसमें आवेदक की भूमि शामिल है और इस बारे में कोई विवाद नहीं है) इस प्रकार हैः

" नहीं। S.O.104/P. A.-2/1900/S. 3/92-जबकि हरियाणा के राज्यपाल उचित जांच के बाद संतुष्ट हैं कि प्रतिबंध

पंजाब भूमि रोकथाम अधिनियम, 1900 के प्रावधानों के लिए; अब, इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल ने आधिकारिक राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीस साल (30 साल) की अवधि के लिए निम्नलिखित कार्यों को प्रतिबंधित कर दिया है।

बल्लभगढ़, तहसील में गाँव अनंगपुर का हिस्सा

अनुसूची में निर्दिष्ट फरीदाबाद जिला हरियाणा सरकार वन विभाग अधिसूचना No.S.O.59/P. A. -2 /

1900 / धारा 3/92, दिनांक 10 अप्रैल, 1992।

1. हरियाणा सरकार के वन विभाग की अधिसूचना No.S.O.59/P. A.-2/1900/S. 3/92 दिनांक 10 अप्रैल, 1992 के प्रकाशन से पहले सामान्य रूप से खेती के तहत नहीं आने वाली भूमि को साफ करने या तोड़ने का प्रावधान है कि खेती के लिए भूमि को तोड़ने की अनुमति संभागीय वन विभाग द्वारा दी जा सकती है।

अधिकारी, फरीदाबाद वन प्रभाग।

2. पत्थरों का उत्खनन या उस स्थान पर चूने को जलाना जहां उक्त अधिसूचना के प्रकाशन से पहले ऐसे पत्थर या चूने को सामान्य रूप से खनन या जलाया नहीं गया था, सिवाय इसके कि

1 डब्ल्यू. पी. 1995 का सं. 202 एम. सी. एम. ई. एच. टी. ए. बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। [मदन बी. लोकुर, जे.]

फरीदाबाद जिले के कलेक्टर की अनुमति जो प्रभागीय वन अधिकारी, फरीदाबाद वन प्रभाग से परामर्श करेंगे।

इस तरह की अनुमति के अनुसार।

3. पेड़ों या लकड़ी की कटाई या घास, फूल, फल और शहद के अलावा किसी भी वन उपज के संग्रह या हटाने या किसी भी निर्माण प्रक्रिया के अधीन होना, बशर्ते कि भूमि के मालिक पहले प्रभागीय वन अधिकारी, फरीदाबाद वन प्रभाग से अनुमति प्राप्त करने के बाद पेड़ या लकड़ी बेच सकते हैं। इस तरह की अनुमति बिक्री के लिए ऐसी शर्तें निर्धारित करेगी जो समय-समय पर दिखाई दें।

वन संरक्षण के हित में आवश्यक।

4. पेड़ों, वन उपज की लकड़ी में आग लगाना।

5. भेड़ों, बकरियों या ऊंटों का प्रवेश, चराना या चराना, प्रतिधारण इस बात का प्रावधान करता है कि यदि बकरियों को रखने के लिए, दूध के लिए बीमारी की आवश्यकता होती है, तो प्रभागीय वन अधिकारी, फरीदाबाद प्रभाग, एक निर्दिष्ट अवधि के लिए निर्दिष्ट की जाने वाली सीमित संख्या में स्टाल-खिलाई गई बकरी को बनाए रखने के लिए अपने विवेक पर परमिट जारी कर सकता है।

13. एक समानांतर अभ्यास में, हरियाणा राज्य द्वारा फरीदाबाद के लिए एक विकास योजना प्रकाशित करने के लिए कदम उठाए गए। इसके परिणामस्वरूप

हरियाणा राज्य ने फरीदाबाद परिसर (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1971 की धारा 29 के तहत 11 दिसंबर, 1991 को अंतिम विकास योजना को अधिसूचित किया। अधिसूचना में उल्लिखित कारकों में से एक जो संशोधन की आवश्यकता को उचित ठहराता है

14. इसके अलावा, इस बीच, ऐसा प्रतीत होता है कि 1984 में आवेदक को दी गई छूट के आधार पर, नगर और देश योजना विभाग ने आवेदक को लगभग 424.84 एकड़ के क्षेत्र वाली अपनी स्वामित्व वाली भूमि के उपनिवेशीकरण की अपनी गतिविधि के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। आवेदक ने एक फिल्म स्टूडियो और संबद्ध के लिए एक लेआउट योजना तैयार की परिसर जिसे 19 दिसंबर, 1991 को या उसके आसपास कुछ नियमों और शर्तों के अधीन नगर और देश योजना विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया प्रतीत होता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

15. इसलिए, अगस्त 1992 के अंत में यह स्थिति थी कि आवेदक को हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्र विनियमन अधिनियम की धारा 23 के तहत छूट का लाभ मिला था।

1975 ; आवेदक को नगर और देश योजना विभाग द्वारा गाँव अनंगपुर में उसके स्वामित्व वाली भूमि पर निर्माण करने के लिए प्रशासनिक रूप से अनुमति (यदि प्रोत्साहित नहीं किया गया) दी गई थी; आवेदक द्वारा तैयार की गई लेआउट योजना को नगर और देश योजना विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया था और

पीएलपी अधिनियम के प्रावधान। इसलिए, हरियाणा के दो विभागों के बीच विचारों का द्वंद्व और हितों का टकराव था। सरकार-एक उपनिवेशवाद के पक्ष में और दूसरा पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण के पक्ष में।

16. इस बैकड्रॉप में, एक संदेह पैदा हुआ कि क्या आवेदक एक फिल्म स्टूडियो और संबद्ध की स्थापना के लिए अपनी निर्माण गतिविधि को जारी रख सकता है।

अधिसूचना के बंद क्षेत्र में परिसर।

17. इस चिंता को, अन्य बातों के अलावा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा उठाया गया था, जिन्होंने वन विभाग को एक संदेश भेजा था।

31 अगस्त, 1992 को वन विभाग के आयुक्त और सचिव ने यह पूछताछ की कि क्या आवेदक द्वारा फिल्म स्टूडियो और संबद्ध परिसर स्थापित करने की अनुमति जारी की जा सकती है या नहीं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने अपने संचार में उल्लेख किया कि भूमि उपयोग में बदलाव के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति अनिवार्य थी। प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने केंद्र सरकार की पूर्व अनिवार्य अनुमति का उल्लेख इसलिए किया क्योंकि उनका मानना था कि पी. एल. पी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिसूचना जारी होने के साथ, विषय भूमि वन थी या किसी भी स्थिति में इसे वन के रूप में माना जाना आवश्यक था और इसलिए, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत वन में गैर-वन गतिविधि करने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता थी। हम इस मुद्दे पर कुछ समय बाद विज्ञापन देंगे।

18. प्रधान मुख्य वन संरक्षक को इस प्रभाव पर कुछ आकस्मिक प्रतिक्रिया दी गई कि वह मानदंडों के अनुसार उचित कार्रवाई कर सकते हैं। 19. ऊपर उल्लिखित 31 अगस्त, 1992 के संचार और उस पर प्रतिक्रिया के अलावा, पत्रों का आदान-प्रदान हुआ

21. जाहिरा तौर पर यह महसूस करते हुए, उपरोक्त पत्र के तुरंत बाद वन संरक्षक द्वारा 17 मई, 1996 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक को एक और पत्र भेजा गया। यह अनुरोध करते हुए कि आवेदक के स्वामित्व वाली भूमि को अधिसूचित किया जा सकता है और हरियाणा सरकार नैतिक रूप से आवेदक को स्वीकृत योजनाओं के अनुसार परियोजना को विकसित करने की अनुमति देने के लिए बाध्य है। इससे कुछ भी नहीं निकला और भूमि को अधिसूचित नहीं किया गया और आगे कोई उल्लेखनीय घटना नहीं हुई।

इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का प्रारंभिक समूह

22. इस समय के आसपास, एक जनहित याचिका एम. सी. मेहता बनाम। भारत संघ 2 के मुद्दों के संबंध में इस न्यायालय में विचाराधीन था वनों की कटाई के साथ-साथ अन्य पर्यावरणीय मुद्दे।

23. 10 मई, 1996 को इस न्यायालय ने अरावली पहाड़ियों और आवेदक की भूमि से सटे क्षेत्रों से संबंधित एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। यह हरियाणा प्रदूषण द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के आधार पर था।

नियंत्रण बोर्ड और दूसरा राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग द्वारा

2 1985 का डब्ल्यू. पी. सं. 4677 [2018] 11 एस. सी. आर.

अरावली पहाड़ियों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र में पर्यावरण क्षरण और प्रदूषण के संबंध में अनुसंधान संस्थान। 10 मई, 1996 के आदेश द्वारा इस न्यायालय ने बडकल झील और सूरजकुंड के 2 किलोमीटर के दायरे में खनन और बडकल झील और सूरजकुंड से 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की निर्माण गतिविधि पर प्रतिबंध लगा दिया। 3 वास्तव में, सभी खुले क्षेत्र थे

ग्रीन बेल्ट में बदलने का निर्देश दिया गया। इसके परिणामस्वरूप, आवेदक स्पष्ट रूप से अपने स्वामित्व वाली भूमि में कोई गतिविधि नहीं कर सका, जहां

पी. एल. पी. अधिनियम के तहत जारी अधिसूचना द्वारा लगाया गया निषेध। यह है। काफी संभावना है कि इस न्यायालय को पी. एल. पी. अधिनियम के तहत अधिसूचना के बारे में भी अवगत नहीं कराया गया था।

24. इस न्यायालय द्वारा 10 मई, 1996 को पारित आदेश को हरियाणा में कार्यपालिका द्वारा इस आधार पर संशोधित/स्पष्ट करने की मांग की गई थी कि निषिद्ध 5 किलोमीटर के दायरे में, इमारतें निर्माणाधीन थीं, विभिन्न विकास योजनाओं के तहत भूखंड आवंटित/बेचे गए थे और भूखंड धारकों ने निर्माण भी शुरू कर दिया था। नतीजतन, कई व्यक्तियों के निहित अधिकार प्रभावित होने की संभावना थी जिससे उन्हें भारी वित्तीय नुकसान हुआ।

झीलों के निकट क्षेत्र में निर्माण गतिविधि। नतीजतन, 11 अक्टूबर, 1996 के एक आदेश द्वारा 10 मई, 1996 के पहले के आदेश को इस प्रभाव के साथ स्पष्ट किया गया था कि दो झीलों के आसपास ग्रीन बेल्ट के भीतर किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी, जो लगभग 1 किमी त्रिज्या वाला क्षेत्र है। जहां तक हरित पट्टी के बाहर के क्षेत्र का संबंध है, यह निर्देश दिया गया था कि आगे 1 किलोमीटर के लिए किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालाँकि, यह स्पष्ट किया गया कि बाद वाला निर्देश विकसित क्षेत्रों में 10 मई, 1996 से पहले बेचे गए या आवंटित भूखंडों पर लागू नहीं होगा और उक्त क्षेत्रों में गैर-आवंटित भूखंडों को संबंधित प्राधिकरण की पूर्व मंजूरी के साथ बेचा जा सकता है। झीलों के 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर के दायरे में निर्माण के लिए सभी विकास योजनाओं और योजनाओं के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी। 4 11 अक्टूबर, 1996 को इस न्यायालय द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण इस प्रकार हैः 3 एम. सी. मेहता बनाम। भारत संघ, (1996) 8 एस. सी. सी. 462 4 एम. सी. मेहता (बड़खल और सूरजकुंड झीलों का मामला) v. भारत संघ, (1997) 3 एस. सी. सी. 715 एम. सी. एम. एच. टी. ए. बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। [मदन बी. लोकुर, जे.]

4. बडखल झील और सूरजकुंड (सूरजकुंड को छोड़कर) के एक किलोमीटर से 5 किलोमीटर के दायरे में सभी प्रकार की इमारतों से संबंधित सभी विकास योजनाओं और सभी प्रकार के निर्माण की योजनाएँ। दिल्ली क्षेत्र) को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पूर्व मंजूरी होगी।

26. आवेदक के अनुसार, इसकी भूमि 1 किमी के दायरे से परे थी लेकिन 5 किमी के दायरे में थी और इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों ने इसे गंभीर रूप से प्रभावित किया। आवेदक का विचार था कि इसकी परियोजना मुख्य रूप से एक आवासीय कॉलोनी थी जिसमें एक वाणिज्यिक परिसर, स्कूल, अस्पताल और फिल्म स्टूडियो थे, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई उद्योग नहीं था। इसने परियोजना में एक बड़ी राशि खर्च की थी, लेकिन इस न्यायालय द्वारा 11 अक्टूबर, 1996 को पारित आदेश को देखते हुए इसके साथ आगे नहीं बढ़ सका। परियोजना की प्रकृति को देखते हुए, आवेदक से प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता अनुचित थी। नतीजतन, एक समीक्षा याचिका आर. पी. है। (ग) 1997 का सं. 914 आवेदक द्वारा 26 फरवरी, 1997 को या उसके आसपास 11 अक्टूबर, 1996 के आदेश की समीक्षा के लिए दायर किया गया था। आवेदन में यह प्रस्तुत किया गया था कि इस न्यायालय द्वारा लगाए गए प्रतिबंध निर्माण से संबंधित नहीं हैं -

आवेदक और यह कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता आवेदक के निर्माण पर लागू नहीं होती है, जो 1 किमी से अधिक लेकिन बडकल झील और सूरजकुंड के 5 किमी के दायरे में आते हैं।

27. पुनरीक्षण के लिए आवेदन 17 मार्च, 1997 को विचार के लिए आया जब इस न्यायालय ने नोट किया कि उस दिन मामले को निपटाने के लिए उसके पास पर्याप्त समय नहीं था। लेकिन एक अंतरिम आदेश के माध्यम से यह निर्देश दिया गया था कि उपरोक्त क्षेत्रों में भूमि का मालिक व्यक्ति (11 अक्टूबर, 1996 के आदेश में) उस क्षेत्र में संचालित भवन उपनियमों और नियमों के अधीन ढाई मंजिल तक का आवासीय घर बना सकता है। वे व्यक्ति जो इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार और संबंधित नियमों के अनुरूप घरों का निर्माण करना चाहते हैं, वे सक्षम प्राधिकारी के पास अपनी योजनाएँ दाखिल कर सकते हैं।

जो जाँच कर सकते हैं और अगले आदेश तक योजनाओं को तैयार रख सकते हैं। दूसरे शब्दों में, ऐसे मामलों में भी निर्माण की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन योजना तैयार करने की अनुमति निश्चित रूप से दी गई थी। यह भी निर्देश दिया गया कि अधिकारियों को राज्य या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर जोर नहीं देना चाहिए। इस न्यायालय द्वारा 17 मार्च, 1997 को पारित आदेश इस प्रकार हैः

" याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि जब व्यक्ति फरीदाबाद नगर निगम की योजनाओं को लागू करते हुए अपने घरों का निर्माण करना चाहते हैं, तो योजनाओं को इस आधार पर मंजूरी नहीं दी जा रही है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मंजूरी प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए गए हैं। हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है

आज मामले का निपटारा करें, हम सोचते हैं कि, एम. सी. मेहता बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। [मदन बी. लोकुर, जे.]

1) वे सभी व्यक्ति जो इस न्यायालय के निर्णय में बताए अनुसार ढाई मंजिल की सीमा के भीतर अपने घरों का निर्माण करना चाहते हैं, वे सक्षम लोगों के समक्ष योजना दायर करने के लिए स्वतंत्र हैं।

प्राधिकरण। सक्षम प्राधिकारी इस बात की जांच करेगा कि क्या योजनाएं नियमों के अनुरूप हैं और इस न्यायालय द्वारा निर्धारित ढाई मंजिला सीमा के भीतर हैं। यदि प्राधिकरण योजनाओं को उपरोक्त नियमों और इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप पाता है, तो उनकी जांच की जा सकती है।

और अगले आदेश तक तैयार रखा।

2) इन मामलों की जांच के लिए, अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे अनापत्ति पेश करने पर जोर न दें

राज्य या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण से प्रमाण पत्र

बोर्ड "।

28. 2 जुलाई, 1997 को या उसके आसपास नगर निगम

फरीदाबाद ने कुछ लंबित आवेदनों और समीक्षा याचिका का जवाब दाखिल किया। इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के प्रभाव, उन्हें लागू करने में नगर निगम के सामने आने वाली कठिनाइयों और अन्य निर्देशों सहित तथ्यों का विवरण देने के बाद, यह प्रार्थना की गई कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में कुछ योजनाएं (क्रम संख्या में उल्लिखित योजनाएं)। जवाब का 3,4 और 5) इस न्यायालय द्वारा 11 अक्टूबर, 1996 को पारित आदेश से प्रभावित नहीं हो सकता है। इसके अनुसार स्वीकृत अन्य परियोजनाओं और विकास योजनाओं के संबंध में -

10 मई, 1996 के आदेश से पहले विकास योजना में यह प्रार्थना की गई थी कि वे भी 11 अक्टूबर, 1996 को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रभावित न हों। इसी तरह, विकास योजना के अनुसार 10 मई, 1996 से पहले से स्वीकृत भवन, घर, वाणिज्यिक परिसर 11 अक्टूबर के आदेश से प्रभावित नहीं हो सकते हैं।

1996 और विकास योजना और लागू कानूनों के अनुसार निर्माण की अनुमति दी जा सकती है।

29. समीक्षा याचिका पर 13 मई, 1998 को फिर से विचार किया गया। उस तारीख को, एक संशोधित योजना और कुछ नक्शे इस न्यायालय के समक्ष रखे गए थे। इन मानचित्रों को देखने के बाद यह बात सामने आई

कि कुछ क्षेत्रों को 1 किमी हरित पट्टी से बाहर कर दिया गया, जैसा कि मूल रूप से प्रस्तावित किया गया था। यह निर्देश दिया गया कि इन क्षेत्रों का शहरीकरण लागू कानूनों और नियमों के अनुसार किया जा सकता है। निजी भूमि (जैसे आवेदक की) के संबंध में यह निर्देश दिया गया था कि सूरजकुंड परिसर से सटे क्षेत्रों में, हरियाणा राज्य [2018] 11 एस. सी. आर. की समीक्षा कर सकता है।

स्थिति ताकि केवल एक मंजिला "झोपड़ियों" का निर्माण करने की अनुमति हो और "मूल रूप से परिकल्पित ऊँची इमारतों" का निर्माण न किया जाए। इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश को उस ओर से पहले के सभी आदेशों में संशोधन या प्रतिस्थापन करने का निर्देश दिया गया था। 13 मई, 1998 को पारित आदेश इस प्रकार हैः

" एक संशोधित योजना को अभिलेख पर रखा गया है। सूरजकुंड और उसके आसपास के लिए छोड़े जाने वाले क्षेत्र को एक ज़िग-ज़ैग लाइन द्वारा उक्त योजना पर निर्धारित किया गया है। पिछले मानचित्रों से इन परिवर्तित सीमाओं के बावजूद, मूल रूप से प्रस्तावित एक किलोमीटर की पट्टी से कुछ क्षेत्र सामने आए हैं। जो भी क्षेत्र समाप्त हो गए हैं और जो भी उससे सटे हुए हैं, उनका शहरीकरण कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुसार होगा।

फरीदाबाद द्वारा प्रदान किए गए क्षेत्रों पर लागू

कुछ निजी क्षेत्र ('ए. बी. सी. डी.' के रूप में चिह्नित) जिनमें निर्माण प्रस्तावित है, उन्हें फिर से देखना होगा। हमने हरियाणा राज्य के विद्वान वकील से इस संबंध में सहायता प्रदान करने की इच्छा व्यक्त की है ताकि सूरजकुंड परिसर से सटे क्षेत्रों में केवल एक मंजिला झोपड़ियों का निर्माण करने की अनुमति दी जा सके, न कि ऊँची इमारतों का जैसा कि मूल रूप से कल्पना की गई थी। योजना में लाल रंग में दिखाए गए छोटे क्षेत्रों को परिसर के लिए अधिग्रहित करने की आवश्यकता होगी। इसका मतलब है कि राज्य को अधिग्रहण पर मुआवजा देना होगा। लेकिन श्री साल्वे, विद्वान वरिष्ठ

बिना मुआवजे के।
यह आदेश उस ओर से पहले के सभी आदेशों के संशोधन या प्रतिस्थापन में होगा। [हमारे द्वारा दिया गया जोर] "।

इस संबंध में कोई और आदेश पारित नहीं किया गया था, सिवाय एक होटल परिसर से संबंधित आदेश के, जिससे हम संबंधित नहीं हैं। इसके बाद इस अदालत ने 12 अक्टूबर, 1998 को पुनर्विचार याचिका का निपटारा कर दिया। 30. हमें ऐसा लगता है कि इस न्यायालय द्वारा पारित ये आदेश पूर्ण आदेश नहीं थे जो आवेदकों को अधिसूचना की अनदेखी करने की अनुमति दे सकते थे

दिनांक 18 अगस्त, 1992। पारित आदेशों के संदर्भ में आवश्यकता, एम. सी. एम. ई. एच. टी. ए. बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। [मदन बी. लोकुर, जे.]

इस न्यायालय द्वारा, कानूनों, नियमों और विनियमों का पालन जारी रखा गया, जिसमें अनिवार्य रूप से इसके तहत जारी अधिसूचना शामिल होगी

पीएलपी अधिनियम के प्रावधान।

इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों से उत्पन्न होने वाले मुद्दे

31. इस पृष्ठभूमि और संदर्भ में, ऐसा प्रतीत होता है कि वित्त आयुक्त और सरकार के सचिव द्वारा कुछ प्रश्न उठाए गए थे, हरियाणा राजस्व विभाग ने आवेदक के स्वामित्व वाली भूमि की स्थिति के संबंध में 1 मार्च, 1999 को एक पत्र में कहा। उठाए गए मुद्दे निम्नलिखित प्रभाव वाले थेः (i) क्या आवेदक भूमि के अनधिकृत कब्जे में है; (ii) क्या आवेदक ने किसी वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन किया है और जिस तरीके से वह अधिकृत है, उसी तरीके से भूमि का उपयोग कर रहा है; (iii) क्या आवेदक को उस भूमि में आवासीय कॉलोनी विकसित करने की अनुमति है जिसके लिए उसने एक फिल्म स्थापित करने के लिए छूट प्राप्त की थी।

स्टूडियो और संबद्ध परिसर और क्या नगर और देश योजना विभाग ने इसकी अनुमति दी थी। 32. इन मुद्दों के जवाब में, नगर और देश योजना विभाग के निदेशक ने वित्तीय आयुक्त और सचिव को पत्र लिखा

16 मार्च, 1999 को हरियाणा राज्य को निम्नलिखित प्रभाव सेः

" मुद्दा संख्या 1 के बारे में। यह सूचित करना है कि जिला द्वारा दिए गए प्रमाणपत्रों के अनुसार। राजस्व प्राधिकरण, मेसर्स आर. कांत एंड कंपनी समय-समय पर खसरा नं. 9-16, विले में भूमि के अधिकृत कब्जे में है। अनंगपुर जिला। फरीदाबाद। राजस्व प्राधिकरण द्वारा दिए गए प्रमाणपत्रों की तस्वीरें इसके साथ संलग्न हैं।

मुद्दा संख्या 2 के संबंध में यह सूचित करना है कि कंपनी स्वीकृत लेआउट योजना और सेवा योजना के अनुसार भूमि का उपयोग कर रही है।

अंक संख्या 3 के संबंध में, यह सूचित करना है कि कांत एन्क्लेव फिल्म स्टूडियो और संबद्ध परिसर की संशोधित स्वीकृत लेआउट योजना में, फिल्म स्टूडियो के अलावा आवासीय भूखंडों, समूह आवास का प्रावधान है। और 1984 के निरसन आदेश के छूट आदेश के अनुसार आवश्यक सामाजिक और वाणिज्यिक बुनियादी ढांचा बनाया गया है।

1990 और सरकार के साथ कंपनी द्वारा निष्पादित 27.3.92 दिनांकित एक समझौता। इसलिए कांत एन्क्लेव में आवासीय भूखंडों का प्रावधान स्वीकार्य है। [जोर दिया गया

हमारे द्वारा]।

8] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अगस्त, 1992 पी. एल. पी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी किया गया। यह क्रम घटनाओं की संख्या स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि नगर और देश योजना विभाग आवेदक द्वारा अपनी भूमि का उपनिवेशीकरण करने और चुनिंदा प्रशासनिक आदेशों के आधार पर उसमें निर्माण करने के पक्ष में था। यह इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों की अवहेलना करने के लिए पूरी तरह से तैयार था और पीएलपी अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी 18 अगस्त, 1992 की अधिसूचना की भी अवहेलना करता था। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट की समझ यह प्रतीत होती है कि पर्यावरण के मुद्दे

क्षरण, प्रदूषण और भूजल इसकी चिंता नहीं थे। कम से कम कहने के लिए, नगर और देश योजना विभाग अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने में अदूरदर्शी और बेशर्म था-निश्चित रूप से आवेदक बनाम पर्यावरण और एक वैधानिक अधिसूचना की अवहेलना में।

उपनिवेशीकरण का एक और प्रयास

34. देश भर में वनों के संरक्षण और संरक्षण से संबंधित कार्यवाही में, इस न्यायालय ने एक आदेश पारित किया

12 दिसंबर, 1996 का काफी महत्व है। यह आदेश 1995 की रिट याचिका संख्या 202 में <ID1 की रिट याचिका संख्या 171 के साथ पारित किया गया था, राज्यों, पक्षों और अन्य आवेदकों के विद्वान अटॉर्नी जनरल, विद्वान वकील के साथ-साथ विद्वान न्यायमित्र को सुनने के बाद इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को आगे वनों की कटाई को रोकने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप अंततः पारिस्थितिक असंतुलन होगा। यह अभिनिर्धारित किया गया कि इसलिए वनों के संरक्षण और उनसे जुड़े मामलों के लिए कानून के प्रावधान सभी वनों पर लागू होने चाहिए, चाहे उनके स्वामित्व या वर्गीकरण की प्रकृति कुछ भी हो। यह आयोजित किया गया थाः

" ..... "वन" शब्द को इसके अनुसार समझा जाना चाहिए। शब्दकोश का अर्थ। यह विवरण सभी वैधानिक रूप से शामिल है।

मान्यता प्राप्त वन, चाहे वे वन संरक्षण अधिनियम की धारा 2 (i) के उद्देश्य के लिए आरक्षित, संरक्षित या अन्यथा नामित हों। धारा 2 में आने वाले "वन भूमि" शब्द में न केवल "वन" शामिल होगा जैसा कि शब्दकोश के अर्थ में समझा जाता है, बल्कि यह भी शामिल होगा। स्वामित्व की परवाह किए बिना सरकारी अभिलेख में वन के रूप में अभिलिखित कोई भी क्षेत्र। अधिनियम की धारा 2 के उद्देश्य के लिए इसे इस तरह से समझना होगा। में अधिनियमित प्रावधान

5 टी. एन. गोडावर्मन बनाम भारत संघ, (1997) 2 एस. सी. सी. 267 एम. सी. एम. एच. टी. ए. बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। [मदन बी. लोकुर, जे.]

वनों के संरक्षण के लिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 और उससे जुड़े मामले सभी पर स्पष्ट रूप से लागू होने चाहिए।

वनों को उनके स्वामित्व या वर्गीकरण की परवाह किए बिना इस प्रकार समझा जाता है।

35. यह भी निर्देश दिया गया कि 'वन' शब्द के दिए गए अर्थ को देखते हुए यह स्पष्ट है कि केंद्र की पूर्व मंजूरी किसी भी वन क्षेत्र के भीतर किसी भी गैर-वन गतिविधि के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना देश भर में किसी भी राज्य में किसी भी वन के भीतर चल रही सभी गतिविधियों को तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए। प्रत्येक राज्य सरकार को वन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक महीने के भीतर एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने का भी निर्देश दिया गया था, चाहे वे अधिसूचित हों, मान्यता प्राप्त हों या वर्गीकृत हों।

किसी भी कानून के तहत, और ऐसे वन की भूमि के स्वामित्व की परवाह किए बिना और उन क्षेत्रों की पहचान करना जो पहले वन थे, लेकिन अवक्रमित, अस्वीकृत या साफ हो गए हैं। दूसरे शब्दों में, इस न्यायालय ने 'वन' और 'वन भूमि' शब्द की यथार्थवादी और व्यावहारिक परिभाषा दी।

36. हालांकि, इससे पहले भी, जहां तक हरियाणा राज्य का संबंध है, एक हलफनामा श्री बनारसी दास, आई. एफ. एस., प्राचार्य द्वारा दायर किया गया था। पर्यावरण जागरूकता मंच में हरियाणा के मुख्य वन संरक्षक बनाम. जम्मू और कश्मीर राज्य "। शपथ पत्र दिनांकित

8 दिसंबर, 1996 में कहा गया कि हरियाणा में कुल वन क्षेत्र 1,54,706 हेक्टेयर (1995-96) है, जिसमें 11,513 हेक्टेयर पीएलपी अधिनियम क्षेत्र शामिल हैं। यह आगे कहता है कि पहले (1985-86) हरियाणा में वन क्षेत्र था

1,68,543 जिसमें पी. एल. पी. अधिनियम के 26,499 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल थे। वन क्षेत्र में कमी अधिसूचनाओं की समाप्ति के कारण हुई थी

पी. एल. पी. अधिनियम और भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 38 के तहत जारी किया गया। यह ध्यान दिया गया कि वनों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए थे, जिसमें पी. एल. पी. अधिनियम के तहत नियमों का प्रवर्तन शामिल था। महत्वपूर्ण बात यह है कि 12 दिसंबर, 1996 को इस न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए जाने से पहले ही हरियाणा राज्य ने पी. एल. पी. अधिनियम क्षेत्रों को वन भूमि के रूप में स्वीकार किया था, और जैसा कि हम बाद में देखेंगे, यह हमेशा ऐसा ही था।

37. टी. एन. गोडावर्मन बनाम भारत संघ ने 25 फरवरी, 1997 को हरियाणा राज्य द्वारा एक हलफनामा दायर किया था। इस शपथ पत्र को श्री एस. के. माहेश्वरी, आई. ए. एस., आयुक्त और हरियाणा सरकार के वन विभाग के सचिव ने शपथ दिलाई। अपने शपथ पत्र में, 6 1996 का डब्ल्यू. पी. सं. 171

7 1995 का डब्ल्यू. पी. सं. 202 [2018] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस न्यायालय द्वारा 12 दिसंबर, 1996 को पारित आदेश का संदर्भ दिया गया था। हलफनामे में कहा गया है कि जहां तक उन क्षेत्रों की पहचान करने की बात है जो वन थे, लेकिन खराब हो गए हैं या नष्ट हो गए हैं या साफ हो गए हैं, तो कुछ कट-ऑफ डेट निर्धारित किए बिना ऐसा करना संभव नहीं होगा क्योंकि पी. एल. पी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत बंद की गई भूमि "वनों का निर्माण करती है" और यह अधिनियम 1900 तक पुराना है। इसलिए, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के लागू होने की तारीख 25 अक्टूबर, 1980 तय की गई। यह आगे कहा गया कि पी. एल. पी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत बंद की गई भूमि केवल बंद की अवधि के दौरान वन है। बंद करने की अवधि समाप्त होने के बाद, वन विभाग के अभिलेखों में भूमि को वन के रूप में नहीं दिखाया गया है। थोड़ी देर बाद हलफनामे में यह दोहराया गया कि पी. एल. पी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत बंद किए गए क्षेत्र को केवल बंद की मुद्रा के दौरान "वन के रूप में गिना जाता है"। ऐसे सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए, यह कहा गया कि हरियाणा राज्य में अभिलिखित वन क्षेत्र अब 149,680.49 हेक्टेयर है।

38. हलफनामे के बावजूद, नगर और देश योजना विभाग के निदेशक ने 16 मार्च को एक पत्र जारी किया,

1999 इस प्रभाव से कि कांत एन्क्लेव में आवासीय भूखंडों का प्रावधान अनुमेय था। श्री एस. के. माहेश्वरी के हलफनामे को देखते हुए, आवेदक और नगर और ग्राम योजना विभाग की वास्तविकता पर संदेह करने के लिए पर्याप्त गुंजाइश है, लेकिन हम इसे उस पर छोड़ देते हैं।

इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का आगे का सेट
39. एम. सी. मेहता द्वारा दायर रिट याचिका में एक आवेदन था

दिल्ली रिज प्रबंधन बोर्ड द्वारा 5 दिसंबर, 2001 को दायर किया गया

(2001 का आई. ए. सं. 1785) इस प्रभाव के लिए कि दिल्ली-हरियाणा सीमा के पास बड़े पैमाने पर खनन गतिविधि के परिणामस्वरूप खनन गड्ढों से बड़ी मात्रा में भूजल बाहर निकाला जा रहा था। जहां तक दिल्ली का संबंध है, भूजल के खनन और निष्कर्षण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और दिल्ली में रिज को इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अनुसार संरक्षित किया जा रहा था। हालाँकि, आवेदन में कहा गया था कि हरियाणा में रिज को भी संरक्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि यह उसी सीमा का विस्तार था। यह प्रस्तुत किया गया था कि खनन, की वापसी भूजल और वनस्पतियों के विनाश आदि को भी बाहर प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

दिल्ली या दिल्ली-हरियाणा सीमा से हरियाणा की ओर कम से कम 5 किमी तक। इस आवेदन का महत्व यह है कि यह स्मृति को जगाता है और एम. सी. मेहता बनाम पर हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा पारित आदेश को याद करता है।

भारत और ओआरएस का संघ। [मदन बी. लोकुर, जे.]

11 जुलाई, 1990 में पीने योग्य पेयजल की उपलब्धता और जलभृतों से पानी की उपलब्धता की अवधि और उनके उपयोग से संबंधित।

40. दिल्ली रिज द्वारा दायर आवेदन पर कार्रवाई

प्रबंधन बोर्ड, इस न्यायालय ने 6 मई, 2002 को निम्नानुसार एक आदेश पारित कियाः

" आई. ए. सं. 1785

नोटिस जारी करें। श्री भरत सिंह स्वीकार करते हैं। चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल किया जाए। इसके बाद चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल किया जाए। इस बीच, आज से 48 घंटों के भीतर, हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव को निर्देश दिया जाता है कि वे दिल्ली-हरियाणा सीमा से 5 किलोमीटर तक के क्षेत्र में और रिज के हरियाणा की ओर और अरावली पहाड़ियों में भी सभी खनन गतिविधियों और भूजल की पम्पिंग को रोक दें। [जोर दिया गया

हमारे द्वारा]।

41. ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदन पर 22 जुलाई, 2002 को विचार किया गया था। उस तारीख की कार्यवाही की सूचना नहीं दी गई है, लेकिन एम. सी. मेहता बनाम में इसका उल्लेख किया गया है। भारत संघ। यह

न्यायालय ने पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (ई. पी. सी. ए.) को निर्देश दिया कि

क्षेत्र में पर्यावरण के संबंध में एक रिपोर्ट दें, अधिमानतः एक व्यक्तिगत यात्रा के बाद। यह उल्लेख किया गया कि ई. पी. सी. ए. का गठन भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 (1) और 3 (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 29 जनवरी, 1998 को जारी एक अधिसूचना द्वारा किया गया था। आम तौर पर, ई. पी. सी. ए. का गठन किया गया था

पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार करना और पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना और कम करना।

42. ई. पी. सी. ए. ने विषय क्षेत्र का दौरा किया और केंद्रीय भूजल बोर्ड की राय भी ली और 9 अगस्त, 2002 की अपनी रिपोर्ट में खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की।

दिल्ली-हरियाणा सीमा से 5 कि. मी. तक के क्षेत्र में और रिज के हरियाणा की ओर और अरावली पहाड़ियों में भी भूजल बनाए रखा जाना चाहिए।

43. ई. पी. सी. ए. ने 21 अक्टूबर, 2002 को अपनी पिछली सिफारिशों की पुष्टि करते हुए एक और रिपोर्ट दी। यह आगे सिफारिश की गई थी कि यदि खनन

यदि इस क्षेत्र में इसे जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो इसका भूजल भंडार पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। ई. पी. सी. ए. ने अनियंत्रित निर्माण भी देखा

ऐसी गतिविधियाँ जो भविष्य में शहरी बस्ती का काफी विस्तार करेंगी और इसलिए सिफारिश की गई कि जब तक क्षेत्र में जल संसाधनों के संरक्षण और वृद्धि के लिए तत्काल उपाय नहीं किए जाते, तब तक एक गंभीर उत्तरजीविता संकट की उम्मीद की जा सकती है। खदानों के आसपास के स्थानीय ग्रामीणों के साथ साक्षात्कार ने पुष्टि की कि इस क्षेत्र में पानी की कमी पहले से ही एक गंभीर समस्या थी।

44. इस न्यायालय ने एक अन्य विशेषज्ञ निकाय की रिपोर्ट का भी उल्लेख किया,

अर्थात् केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सी. ई. सी.)। इस विशेषज्ञ निकाय का गठन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 17 सितंबर, 2002 को जारी एक अधिसूचना द्वारा किया गया था। सीईसी का गठन वनों और वन्यजीवों और आदेशों से उत्पन्न होने वाले अन्य संबंधित मुद्दों के संबंध में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। सी. ई. सी. से इस न्यायालय के आदेशों के गैर-अनुपालन के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की भी अपेक्षा की गई थी, जिसमें अतिक्रमण और निष्कासन, कार्य योजनाएं, प्रतिपूरक वनीकरण, वृक्षारोपण और अन्य संरक्षण मुद्दे शामिल हैं।

सीईसी की रिपोर्ट

45. सी. ई. सी. द्वारा दी गई पहली कुछ रिपोर्टों में से 14 दिसंबर, 2002 की एक रिपोर्ट उल्लेख करने योग्य है। यह स्पष्ट नहीं है कि इस रिपोर्ट का कारण क्या था, लेकिन किसी भी मामले में, इस न्यायालय द्वारा 16 दिसंबर, 2002 को इस पर विचार किया गया था और इस रिपोर्ट के परिणामस्वरूप एक आदेश पारित किया गया था कि कोई खनन नहीं किया गया था।

उन क्षेत्रों में गतिविधि की अनुमति दी जाएगी जहां वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की प्रयोज्यता का विवाद है, जब तक कि विवाद का समाधान नहीं हो जाता है या केंद्र सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के तहत गैर-वन गतिविधि के लिए मंजूरी नहीं दी जाती है। इस न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि उन क्षेत्रों में खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी जिनके लिए भूमि विभाजन आदि को विनियमित करने के लिए पी. एल. पी. अधिनियम की धारा 4 और 5 के तहत अधिसूचना जारी की गई है और ऐसी भूमि सरकारी रिकॉर्ड में 'वन' के रूप में दर्ज की गई है या दर्ज की गई है, भले ही अधिसूचना की अवधि समाप्त हो गई हो, जब तक कि मंजूरी न हो। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत। ये दिशाएँ महत्वपूर्ण हैं और आम तौर पर, अनदेखी की गई प्रतीत होती हैं।

46. अलग से और 25 नवंबर, 2002 को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में सी. ई. सी. ने तीन रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो सभी मुख्य रूप से विषय क्षेत्र में खनन गतिविधियों से संबंधित थीं। इन रिपोर्टों पर इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया था और निर्णय और आदेश में निपटा गया था। '
टी. एन. गोडावर्मन बनाम भारत संघ, (2008) 16 एस. सी. सी. 401 एम. सी. एम. एच. टी. ए. बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। [मदन बी. लोकुर, जे.]

18 मार्च, 2004 को पारित किया गया। 1 0 22 जनवरी, 2003 की रिपोर्ट में (गलती से जून के रूप में दर्ज) सी. ई. सी. द्वारा यह सिफारिश की गई थी कि पी. एल. पी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत बंद क्षेत्रों में खनन गतिविधि की अनुमति दी जा सकती है।

एम. ओ. ई. एफ. (पर्यावरण और वन मंत्रालय) से उक्त अधिनियम के तहत पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही राज्य सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार भी अधिनियम 'वन' हैं। 7 फरवरी, 2003 की एक अन्य रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि इस न्यायालय द्वारा 10 मई, 1996 को पारित आदेश के अनुसार सूरजकुंड और बडकल झीलों से 2 किलोमीटर तक खनन गतिविधि पर प्रतिबंध जारी रह सकता है।

किसी भी तरह का। इससे निपटने के दौरान, यह ध्यान दिया गया कि हरियाणा राज्य का वन विभाग अपने अभिलेखों में बंद क्षेत्रों को 'वन' के रूप में देख रहा है। इस न्यायालय ने समय-समय पर इस न्यायालय में श्री एस. के. माहेश्वरी और श्री बनारसी दास द्वारा दायर हलफनामों को भी स्वीकार किया। इस न्यायालय ने 12 दिसंबर, 1996 के अपने पहले के आदेश और इस तथ्य की ओर भी ध्यान आकर्षित किया कि हरियाणा राज्य ऐसी बंद भूमि को गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए मोड़ने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति मांग रहा था। इस न्यायालय ने दिनांकित पत्रों का भी उल्लेख किया 26 नवंबर, 2002 और 17 सितंबर, 2001 में एक विचार व्यक्त किया गया था कि पी. एल. पी. अधिनियम के तहत बंद की गई भूमि वन भूमि है। इसलिए, इस न्यायालय ने हरियाणा राज्य को कुछ भी करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और तर्क दिया कि पी. एल. पी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत बंद की गई भूमि वन नहीं है। इस न्यायालय ने रिपोर्ट के पैराग्राफ 82 में यही कहा है:

“ तत्काल मामले में, [पीएलपी] अधिनियम की धारा 4 और/या 5 के तहत अधिसूचना जारी करने के कानूनी प्रभाव पर निर्णय लेना आवश्यक नहीं है। न केवल उनके अभिलेख में इस क्षेत्र को वन के रूप में दिखाया गया है, बल्कि इस न्यायालय में इस क्षेत्र को "वन" बताते हुए शपथ पत्र दायर किए गए हैं। टी. एन. गोडावर्मन थिरुमुल्कपद बनाम। भारत संघ [(1997) 2 एस. सी. सी. 267] इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "वन" शब्द को शब्दकोश के अर्थ में समझा जाना चाहिए और यह भी कि किसी भी क्षेत्र को माना जाता है।

सरकारी अभिलेखों में वन के रूप में, स्वामित्व की परवाह किए बिना, वन होगा। हरियाणा राज्य, एफ. सी. अधिनियम के प्रयोजनों के लिए वन के रूप में माने जाने वाले वन मामलों में शपथ पत्र दायर करने के अलावा, ऐसी भूमि को गैर-वानिकी उद्देश्य के लिए मोड़ने के लिए केंद्र सरकार से पूर्व मंजूरी मांग रहा है।

10 एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ, (2004) 12 एस. सी. सी. 118 [2018] 11 एस. सी. आर.

फरीदाबाद ने उन्हें फरीदाबाद जिले के अवरुद्ध वन क्षेत्रों की एक सूची भेजी और उनसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि उक्त वन क्षेत्र किसी भी खनन कार्य से प्रभावित न हों और साथ ही प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा (पंचकुला) द्वारा पर्यावरण निदेशक, हरियाणा को भेजे गए एक पत्र में कहा गया है कि इस क्षेत्र में किसी भी खनन गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा सकती है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर, हम अनुमति नहीं दे सकते हैं।
राज्य सरकार को इन कार्यवाहियों में पूरी तरह से हस्तक्षेप करना चाहिए और तर्क देना चाहिए कि पहले का रुख कि यह क्षेत्र वन है, कुछ गलत धारणाओं के तहत था। वर्तमान मामले में, एफ. सी. अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, इन क्षेत्रों को वन माना जाएगा और गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग करने के लिए, एफ. सी. अधिनियम के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक होगा।

48. अभिलेख पर प्रचुर मात्रा में सामग्री पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय ने 18 मार्च, 2004 के उक्त निर्णय में निष्कर्ष निकाला कि एक निगरानी समिति का गठन करना उचित है, जो उसने अरावली पहाड़ियों में समग्र पारिस्थितिकी-बहाली के प्रयासों की निगरानी करने और प्रदान करने के लिए किया।

कार्यान्वयन संगठनों को तकनीकी सहायता और यहाँ निर्दिष्ट रिपोर्टों में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए भी। "इस न्यायालय ने यह भी कहा कि 6 मई, 2002 के आदेश को, जैसा कि निर्णय में स्पष्ट किया गया है, निगरानी समिति की रिपोर्ट पर विचार करने से पहले बदला या खाली नहीं किया जा सकता है। यह भी निष्कर्ष निकाला गया कि मामले के तथ्यों पर, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत अनुमोदन के बिना पी. एल. पी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत आने वाले क्षेत्रों में खनन गतिविधि नहीं की जा सकती है।

49. इसलिए, खनन गतिविधि को रोकने के अलावा, इस न्यायालय ने खनन से 5 कि. मी. तक के क्षेत्र में और वहां से भूजल पंप करना भी बंद कर दिया।

दिल्ली-हरियाणा सीमा रिज के हरियाणा की ओर और अरावली पहाड़ियों में भी है।

सी. ई. सी. की और रिपोर्ट

50. इस न्यायालय के समय-समय पर दिए गए निर्णयों और इस आशय की सामग्री के बावजूद कि अरावली पहाड़ियों की रक्षा करने की आवश्यकता है, आवेदक के स्वामित्व वाली भूमि को उपनिवेश बनाने का मुद्दा, जो पी. एल. पी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत निषेधात्मक अधिसूचना का विषय था, को जीवित रखा गया था। आवेदन पत्र थे

इस न्यायालय में इच्छुक पक्षों द्वारा दायर किया गया और सी. ई. सी. को समय-समय पर इस न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी।

51. 12 सितंबर, 2007 की एक रिपोर्ट में, जो मुख्य रूप से हरियाणा के गुड़गांव और फरीदाबाद जिलों में खनन गतिविधियों से संबंधित थी, एक

सी. ई. सी. द्वारा की गई सिफारिशों में से यह प्रभाव था कि पी. एल. पी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिसूचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त पैमाने के नक्शे तैयार किए जाने चाहिए, जिसमें वे क्षेत्र भी शामिल हैं जिनके लिए अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। समय समाप्त हो गया है। इन क्षेत्रों को प्रासंगिक वनरोपण मानचित्रों, प्रासंगिक समय की उपग्रह छवियों, अरावली वनरोपण कार्यक्रम में दायर प्रगति रिपोर्ट और अन्य विवरणों की मदद से सत्यापित किया जा सकता है। यह भी सिफारिश की गई कि इन क्षेत्रों का सीमांकन किया जा सकता है और खनन गतिविधि के लिए एक निषिद्ध क्षेत्र के रूप में माना जा सकता है।

52. 5 दिसंबर, 2007 की एक पूरक रिपोर्ट में सी. ई. सी. द्वारा दर्ज किया गया था कि यह उसके संज्ञान में आया था कि अधिसूचित क्षेत्र

पी. एल. पी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत उपनिवेशीकरण, फार्म-हाउस और अन्य निर्माण गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा रहा है या प्रस्तावित किया जा रहा है। यह ध्यान दिया गया कि कई मामलों में ऐसे उपयोगकर्ता को राज्य सरकार के संबंधित विभागों द्वारा वन विभाग द्वारा पूर्व में दिए गए अनुचित अनापत्ति प्रमाण पत्रों के आधार पर अनुमति दी गई है।

विभाग। सी. ई. सी. ने कहा कि इन क्षेत्रों में खनन के संबंध में की गई सिफारिशें निम्नलिखित गतिविधियों पर समान रूप से लागू होती हैं -

उपनिवेशीकरण, फार्म-हाउसों का निर्माण आदि। यह सिफारिश की गई थी कि पी. एल. पी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिसूचित क्षेत्रों, जिनमें वे क्षेत्र भी शामिल हैं जिनके लिए अधिसूचनाएं समाप्त हो गई हैं, को भी उपनिवेशीकरण, खेत-घरों के निर्माण और अन्य निर्माण गतिविधियों के लिए निषिद्ध क्षेत्र माना जा सकता है। प्रतिबंधित क्षेत्र में ऐसी गतिविधियों की अनुमति केवल दी जानी चाहिए।

यदि जनहित में और इस न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने के बाद।

53. सी. ई. सी. द्वारा एक और रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी, जिसे उसने 28 अगस्त, 2008 को प्रस्तुत किया। रिपोर्ट में, यह उल्लेख किया गया था कि हरियाणा राज्य के अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई थी और दो-चरण (2018) 11 एस. सी. आर.

दृष्टिकोण सुझाया गया था। पहला कदम उन क्षेत्रों की पहचान करना था जहां अरावली पहाड़ियों में खनन, उपनिवेशीकरण आदि हो रहे हैं, लेकिन इस अदालत के विभिन्न अधिनियमों और आदेशों द्वारा उन क्षेत्रों में ऐसी गतिविधियों को प्रतिबंधित या विनियमित किया जाता है। इनमें अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ क्षेत्र भी शामिल होंगे। पी. एल. पी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिसूचित। दूसरा कदम अरावली पहाड़ियों में खनन, उपनिवेशीकरण और अन्य गैर-वानिकी गतिविधियों के संबंध में व्यापक सिद्धांतों और दिशानिर्देशों को निर्धारित करना होगा, जो अन्य बातों के साथ-साथ एक स्वतंत्र निगरानी तंत्र प्रदान करेगा। मोटे तौर पर, केवल ऐसी गैर-वानिकी गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी, जो बिल्कुल आवश्यक और अपरिहार्य हैं और जनहित में हैं।

54. निषिद्ध क्षेत्रों की पहचान के लिए प्रक्रिया और कार्यप्रणाली का विवरण देने के लिए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एक बैठक आयोजित की गई थी।

पी. एल. पी. अधिनियम के तहत बंद क्षेत्रों सहित वृहत योजनाओं की तैयारी

और अन्य क्षेत्रों में जहां इस न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किया गया है, साथ ही खनन और उपनिवेशीकरण आदि के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। यह निर्णय लिया गया कि यह सब विचार और अनुमोदन के लिए इस न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा। यह भी प्रस्ताव किया गया है कि निषिद्ध क्षेत्रों के आवश्यक नक्शे तैयार होने, वृहत योजना और पहचान पूरी होने के बाद, उचित निर्देशों के लिए इस न्यायालय के समक्ष एक विस्तृत प्रस्ताव रखा जाएगा। यह उम्मीद की गई थी कि राज्य सरकार किसी भी निषिद्ध क्षेत्र में चल रही गैर-वानिकी गतिविधि को तत्काल बंद करना सुनिश्चित करेगी और निम्नलिखित आदेशों का उल्लंघन करेगीः

यह न्यायालय और कानून के प्रावधान।

55. इस न्यायालय द्वारा हरियाणा में अरावली पहाड़ियों के संबंध में भूमि उपयोग मानचित्र और वृहत योजनाएँ दाखिल करने के लिए जारी निर्देशों के अनुसार 13 नवंबर, 2008 को सी. ई. सी. द्वारा एक और रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। हालांकि रिपोर्ट काफी विस्तृत है, लेकिन हमारे लिए चिंता की बात यह है कि सैटेलाइट इमेजरी पर लगाए गए गांव अनंगपुर के राजस्व मानचित्र से पता चला है कि पीएलपी अधिनियम के प्रावधानों के तहत बंद क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कॉलोनियां, खेत-घर और खदानें स्थित थीं। प्रमुख उल्लंघनकर्ताओं में से एक आवेदक (कांत एन्क्लेव) था जिसने 14 मई, 2008 के इस न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किया था (इस न्यायालय के निर्णय पर थोड़ी देर बाद चर्चा की जाएगी)। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि पी. एल. पी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत बंद किए गए क्षेत्रों का पर्यावरण कानूनों और इस अदालत के आदेशों का घोर उल्लंघन करते हुए अवैध निजी लाभ के लिए बड़े पैमाने पर अवैध उपयोग किया गया था। यह सुझाव दिया गया था कि यह संबंधित अधिकारियों की सक्रिय मिलीभगत और समर्थन के बिना नहीं हो सकता था।

यह एम. सी. मेहता बनाम भी था। भारत और ओआरएस का संघ। [मदन बी. लोकुर, जे.]

इस बात पर ध्यान दिया कि क्षेत्र में भूजल स्तर तेजी से कम हो रहा था और इसे पहले ही 'भूजल के लिए डार्क ज़ोन' के रूप में चिह्नित किया जा चुका था। कुछ हद तक खतरनाक स्थिति को देखते हुए, सीईसी द्वारा यह सिफारिश की गई थी कि कांत एन्क्लेव जैसे पीएलपी अधिनियम के प्रावधानों के तहत बंद क्षेत्रों में अवैध रूप से निर्मित कॉलोनियों, फार्म-हाउस, बैंक्वेट हॉल और अन्य इमारतों को ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए।

56. सी. ई. सी. द्वारा 15 जनवरी, 2009 को एक और रिपोर्ट (आखिरी रिपोर्ट जिससे हम चिंतित हैं) प्रस्तुत की गई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि

कहा कि सभी भू-संशोधित गाँव मानचित्रों पर अति-प्रभाव डालने का काम

इसके अलावा, गाँववार भूमि-उपयोग मानचित्र तैयार किए गए थे। इनमें तीन घटक शामिल थे, अर्थात्, उपग्रह चित्र, स्कैन किए गए गाँव के नक्शे और पी. एल. पी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिसूचित क्षेत्रों को चिह्नित करने के साथ उपग्रह चित्र पर अधिरोपित गाँव के नक्शे। 57. उपरोक्त आधार पर यह उल्लेख किया गया था कि बड़ी संख्या में कॉलोनियां, इमारतें, बैंक्वेट हॉल, फार्म हाउस, इंजीनियरिंग कॉलेज, स्कूल,

आश्रम आदि पी. एल. पी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिसूचित क्षेत्रों या वन क्षेत्र वाले क्षेत्रों में स्थित थे। सी. ई. सी. ने यह विचार व्यक्त किया कि उपरोक्त अवैध संरचनाओं को ध्वस्त करने और ऐसे क्षेत्रों (कांत एन्क्लेव सहित) का पुनर्वास हरियाणा राज्य द्वारा समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए और ऐसी भूमि की बिक्री या खरीद की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऐसे क्षेत्रों में गैर-वानिकी उपयोग के लिए पहले दी गई अनुमति, यदि कोई हो, को तुरंत रद्द कर दिया जाना चाहिए। हरियाणा राज्य ने सुझाव दिया था कि बड़े पैमाने पर विध्वंस से कानून और व्यवस्था की गंभीर समस्या पैदा हो सकती है, लेकिन सी. ई. सी. इससे सहमत नहीं थे। हालांकि, सी. ई. सी. ने पी. एल. पी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिसूचित क्षेत्रों और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के क्षेत्रों में आने वाले अन्य वन क्षेत्रों को नियमित करने की सिफारिश की, बशर्ते कि पी. एल. पी. अधिनियम और अन्य वन क्षेत्रों के प्रावधानों के तहत अधिसूचित क्षेत्रों में इमारतों और संरचनाओं को ध्वस्त करने और ऐसे क्षेत्रों के पुनर्वास के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकें। 58. 15 जनवरी, 2009 की सी. ई. सी. की रिपोर्ट के जवाब में हरियाणा राज्य ने श्री धरम वीर के माध्यम से एक हलफनामा दायर किया।

15 मार्च, 2009 को एम. सी. मेहता बनाम राज्य के मुख्य सचिव।

भारत संघ 1 1. हलफनामे में कहा गया है कि जहां तक फरीदाबाद नगर निगम का संबंध है, दिनांकित आदेश को देखते हुए

[11]M.C। मेहता बनाम। भारत संघ, (2004) 12 एस. सी. सी. 118 [2018] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

13 इस न्यायालय द्वारा मई, 1998 में पारित, लागू कानून के तहत उचित अनुमति के साथ भवनों के निर्माण को अवैध नहीं कहा जा सकता है। प्रत्यक्षतः, यह गलत है, क्योंकि इस न्यायालय ने अनुमति दी है, यदि बिल्कुल भी हो, तो केवल झोपड़ियों के निर्माण की, न कि इमारतों के निर्माण की। जहां तक नगर और ग्राम योजना विभाग का संबंध है, यह कहा गया था कि कांत एन्क्लेव को 17 अप्रैल, 1984 को हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्र विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 23 के तहत छूट दी गई थी और इसलिए यह न्याय के हित में होगा यदि उपरोक्त छूट के अनुसार बनाए गए निर्माणों को अस्तित्व में रहने दिया जाए। 18 अगस्त, 1992 की अधिसूचना और इस न्यायालय के अन्य आदेशों की आसानी से अनदेखी की गई।

59. नगर और देश योजना विभाग में मुख्य नगर योजनाकार द्वारा 25 अक्टूबर, 2010 को एक हलफनामा दायर किया गया था। यह था।

हलफनामे में कहा गया है कि फरीदाबाद के लिए विकास योजना पंजाब अनुसूचित सड़कें और नियंत्रित क्षेत्र विनियमित विकास अधिनियम, 1963 के अनुसार तैयार की गई थी और अंतिम विकास योजना 1991 में एन. सी. आर. योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 के अनुरूप प्रकाशित की गई थी। विकास योजनाओं में आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक उपयोग, कृषि, खुले स्थान आदि के लिए उपयोग किए जाने वाले क्षेत्रों का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, यह कहा गया था कि

कांत एन्क्लेव को हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्र विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 23 के तहत छूट दी गई थी। में।

इसे देखते हुए, हरियाणा राज्य को वन विभाग के माध्यम से पी. एल. पी. अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना प्रकाशित नहीं करनी चाहिए थी, जिसमें अंतिम विकास योजना में शहरीकरण के लिए पहले से ही निर्धारित क्षेत्र भी शामिल था। यह बताया गया कि नगर और ग्राम योजना विभाग ने पी. एल. पी. अधिनियम के तहत जारी अधिसूचना से आवेदक की भूमि को बाहर करने के लिए कदम उठाए थे और इस संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई भी की गई थी। हालाँकि, हलफनामा इस तथ्य के बारे में चुप है कि नगर और देश योजना विभाग के जोरदार प्रयासों के बावजूद आवेदक के स्वामित्व वाली भूमि को अधिसूचित नहीं किया गया था। में कहा गया है कि इस न्यायालय द्वारा 13 मई, 1998 को पारित आदेश के अनुसार नगर और देश योजना विभाग ने भवन योजनाओं को मंजूरी दी थी और 23 दिसंबर, 2004 को आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र भी जारी किए थे। इन सभी तथ्यों के साथ-साथ हरियाणा राज्य के मुख्य सचिव द्वारा दायर हलफनामे को ध्यान में रखते हुए, यह न्याय के हित में होगा कि एम. सी. एम. ई. एच. टी. ए. बनाम के अनुसरण में निर्माण किए गए थे।

भारत और ओआरएस का संघ। [मदन बी. लोकुर, जे.]

हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्र विनियमन अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के तहत दी गई छूट की अनुमति दी जा सकती है। यह प्रस्तुत किया गया था कि इस न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय लिया जा सकता है और राज्य सरकार इस मुद्दे पर इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेगी।

उपनिवेशवाद के एक और प्रयास को खारिज कर दिया गया है

60. इस न्यायालय के कई पत्रों, रिपोर्टों और निर्णयों से संतुष्ट नहीं होने के कारण, आवेदक ने अपने स्वामित्व वाली भूमि खसरा संख्या में अपने उपनिवेशीकरण और निर्माण गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए एक और मोर्चा खोला। 9 गाँव अनंगपुर में 16 तक। आवेदक ने 1985 के डब्ल्यू. पी. सं. 4677 में 2005 का आई. ए. सं. 1901 दाखिल किया (एम. सी. मेहता बनाम। भारत संघ)। इस आवेदन में, आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि यह खसरा संख्या के अनन्य कब्जे में था। 9 गाँव अनंगपुर में 16 ने सही मालिकों से वही खरीदा था। यह कहा गया कि आवेदक को हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्र विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 23 के तहत कांत एन्क्लेव नामक अपनी परियोजना की स्थापना के लिए छूट दी गई थी। यह छूट 17 अप्रैल, 1984 को दी गई थी। यह कहा गया था कि आवेदक ने इसे पूरा करने में 50 करोड़ से अधिक खर्च किए थे।

और भूमि पर विकास कार्य करना। इसके अलावा, आवेदक ने संभावित खरीदारों को 1500 भूखंड बेचे या बुक किए या आवंटित किए थे। जो लगभग 450-500 मामलों में, परिवहन विलेख पहले ही निष्पादित किए जा चुके थे और संबंधित अधिकारियों के साथ पंजीकृत किए जा चुके थे। यह प्रस्तुत किया गया था कि इस न्यायालय के निर्णय खनन केंद्रित थे और थे

वन विभाग के अधिकारियों द्वारा गलत समझा गया। नतीजतन, ए

वन विभाग द्वारा 31 जनवरी, 2005 को जिला नगर योजनाकार, फरीदाबाद को इस आशय का पत्र जारी किया गया था कि आवेदक की भूमि पी. एल. पी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक बंद क्षेत्र है और इसलिए भूमि का गैर-वन उपयोग निषिद्ध था। इस संचार के परिणामस्वरूप, जिला नगर योजनाकार ने कांत एन्क्लेव के भूखंड धारकों की निर्माण योजनाओं को मंजूरी देने या मंजूरी या पहले से दी गई मंजूरी के संदर्भ में पहले से ही पूरी की गई इमारतों के संबंध में पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार कर दिया।

61. इस आधार पर, आवेदन में यह प्रस्तुत किया गया था कि यह न्यायालय इस प्रभाव के लिए उचित निर्देश जारी कर सकता है कि केवल खनन गतिविधियाँ

विषय क्षेत्र में निषिद्ध थे और इस न्यायालय के आदेशों ने किया था 13 मई, 1998 के इस न्यायालय के आदेश द्वारा अनुमत अपनी परियोजना में आवेदक द्वारा की गई निर्माण गतिविधियों को प्रभावित नहीं करेगा।

8] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह प्रार्थना की गई कि भूखंडों के पंजीकरण की अनुमति देने और भवन योजनाओं को मंजूरी देने के साथ-साथ पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश जारी किए जाएं।

62. 24 जुलाई, 2006 के एक आदेश द्वारा इस न्यायालय ने हरियाणा के मुख्य सचिव को आवेदन के जवाब में एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।

2005 का आई. ए. सं. 1901। मुख्य सचिव श्री प्रेम प्रशांत, आई. ए. एस. द्वारा 10 सितंबर, 2006 को एक विस्तृत हलफनामा दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया था कि पी. एल. पी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत 18 अगस्त, 1992 को जारी अधिसूचना में खसरा संख्या शामिल थी। 9 16 इंच तक

गाँव अनंगपुर, अर्थात आवेदक के स्वामित्व वाली भूमि। यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि तब से इस भूमि को वन माना जाता था और इसे सरकारी रिकॉर्ड में वनों की सूची में भी शामिल किया गया था। वन विभाग द्वारा 1995 के डब्ल्यू. पी. संख्या 202 में दायर हलफनामे का भी संदर्भ दिया गया था कि इस विषय क्षेत्र को वन के रूप में दिखाया गया था और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधान लागू होंगे। हलफनामे में इस न्यायालय द्वारा 12 दिसंबर, 1996 को पारित आदेश का भी उल्लेख किया गया है कि 'वन' शब्द को शब्दकोश के अर्थ में समझा जाना चाहिए और यह भी कि किसी भी क्षेत्र को माना जाता है।

जैसा कि सरकारी अभिलेखों में स्वामित्व की परवाह किए बिना वन एक वन होगा। इस संबंध में 18 मार्च, 2004 को दिए गए इस न्यायालय के निर्णय का भी संदर्भ दिया गया था।

63. हलफनामे में आगे कहा गया है कि प्रधान प्रमुख

वन संरक्षक ने 27 जनवरी, 2006 को एक पत्र के माध्यम से निदेशक, नगर और देश योजना विभाग को सूचित किया था कि भूमि

आवेदक का नाम खसरा संख्या है। 9 गाँव अनंगपुर में 16 तक पी. एल. पी. अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचित किया जाता है। इसलिए, 18 मार्च, 2004 को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को देखते हुए उपरोक्त क्षेत्र को वन माना गया था। चूंकि आवेदक ने वन विभाग के पास वन भूमि को गैर-वानिकी उपयोग के लिए मोड़ने के लिए कभी कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया था, इसलिए निदेशक, नगर और देश योजना ने 27 जून, 2006 को पत्र द्वारा आवेदक से खसरा संख्या में वन भूमि को मोड़ने की मांग करने के लिए कहा था। 9 वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अनुसार गैर-वानिकी उपयोग के लिए गाँव अनंगपुर में 16 तक।

64. आवेदन को इस न्यायालय द्वारा विचार के लिए लिया गया था और 14 मई, 2008 के एक निर्णय और आदेश द्वारा आवेदन था बर्खास्त कर दिया। 1 2 12 इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि चुनौती

[1]2M.C। मेहता बनाम। भारत संघ, (2008) 17 एस. सी. सी. एम. सी. एम. एच. टी. ए. बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। [मदन बी. लोकुर, जे.]

यह वास्तव में 31 जनवरी, 2005 के संचार के लिए था। इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्णयों पर विचार करते हुए, तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि एक भूखंड विकसित करना और उस पर निर्माण करना किसी क्षेत्र को साफ करने या विभाजित करने के बराबर होगा और यह 18 अगस्त, 1992 की अधिसूचना में निहित निषेध का उल्लंघन होगा। यह रिपोर्ट के अनुच्छेद 12 में आयोजित किया गया थाः

" धारा 4 के तहत अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए जब भूमि को साफ करने या तोड़ने की अनुमति नहीं है तो यह स्वयं नए निर्माण के लिए एक प्रतिबंध है क्योंकि निर्माण केवल तभी हो सकता है जब किसी क्षेत्र/भूमि की सफाई और टूटना हो। यह निषेध 1992 की अधिसूचना में स्पष्ट रूप से निहित है। द.

खंड (छ) पर आवेदकों द्वारा रखी गई निर्भरता स्पष्ट रूप से है

गलत धारणा, क्योंकि खंड (छ) के भीतर अनुमत अनुमेय गतिविधि ऐसे किसी क्षेत्र की सीमा या आसपास के क्षेत्र के भीतर शहर और गाँवों के निवासियों के पक्ष में है। स्वीकार किया गया मामला यह है कि यहाँ आवेदकों ने विचाराधीन क्षेत्र में भूखंड विकसित किए हैं और इसे ऐसे व्यक्तियों को बेच दिया है जो ऐसे निर्दिष्ट रहने वाले क्षेत्र के भीतर कस्बों और गाँवों के निवासी नहीं हैं, लेकिन पूरे देश या बाहर से कोई भी हो सकता है, और इसलिए धारा 4 के खंड (जी) का कोई अनुप्रयोग नहीं है। एक भूखंड विकसित करने और फिर उस पर निर्माण करने का तथ्य समाशोधन या टूटने के बराबर होगा।

किसी क्षेत्र या भूमि के ऊपर।

65. इस न्यायालय ने केंद्रीय भूजल बोर्ड के इस दृष्टिकोण पर भी ध्यान दिया कि गाँव अनंगपुर में विचाराधीन क्षेत्र में

भूजल की एक बहुत ही अनिश्चित स्थिति के रूप में अधिसूचित किया गया है और पर्याप्त जल भंडार के बिना उसमें किसी भी निर्माण गतिविधि का भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह भी ध्यान दिया गया कि फरीदाबाद में भूजल स्तर पहले से ही एक महत्वपूर्ण चरण में है।

66. 14 मई, 2008 को दिए गए इस न्यायालय के निर्णय ने अंतिमता प्राप्त कर ली है और आवेदक द्वारा प्रस्तुत सभी प्रस्तुतियाँ थीं -

इस न्यायालय के तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ द्वारा विधिवत विचार किया गया और अस्वीकार कर दिया गया। यह मुद्दा कि क्या आवेदक अधिसूचित भूमि यानी खसरा संख्या पर कोई भी निर्माण कर सकता है। 9 पी. एल. पी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी अधिसूचना का उल्लंघन करते हुए गाँव अनंगपुर में 16 तक पहले चर्चा के लिए खुला नहीं था और किसी भी घटना में अब कोई अंतर्वेशन या आगे की चर्चा या परीक्षा के लिए खुला नहीं है।

8] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक कथित विसंगत टिप्पणी

67. पी. एल. पी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत बंद क्षेत्रों की स्थिति का मुद्दा बी. एस. संधू बनाम में विचार के लिए आया। सरकार

भारत और अन्य। 13 इस मामले में पंजाब के रोपड़ जिले के करोरां गांव में लगभग 3,700 एकड़ भूमि को पी. एल. पी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिसूचित किया गया था। इसके बावजूद, फॉरेस्ट हिल गोल्फ एंड कंट्री क्लब की स्थापना बंद भूमि पर की गई थी और इसे कथित रूप से पर्यावरण और वन कानूनों के साथ-साथ उनके द्वारा पारित आदेशों का घोर उल्लंघन करते हुए विकसित किया जा रहा था।

पी. एल. पी. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बंद भूमि 'वन' नहीं बन जाती है भूमि '। यही विवाद मालिक/प्रबंधक द्वारा उठाया गया था।

पंजाब और हरियाणा हाई में कंट्री क्लब (संधू) के निदेशक

अदालत। यह प्रस्तुत किया गया था कि उनकी भूमि निजी भूमि थी और इसे भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 35 के तहत औपचारिक अधिसूचना के बिना वन भूमि के रूप में नहीं माना जा सकता था। 69. पंजाब राज्य के अनुसार, 12 दिसंबर, 1996 को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के संदर्भ में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था और इस विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में गाँव करोरन के पूरे क्षेत्र को वन क्षेत्र के रूप में शामिल किया था। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने संधू द्वारा आग्रह किए गए तर्क को खारिज कर दिया और इसने अपीलों को जन्म दिया जो इस न्यायालय द्वारा तय किए गए थे।

70. इस अदालत ने नोट किया कि पी. एल. पी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी अधिसूचना के परिणामस्वरूप गाँव करोरन में भूमि को दर्ज किया गया है

वन विभाग के नियंत्रण में भूमि और इसलिए वन भूमि। दूसरे शब्दों में, इस निष्कर्ष का आधार कि गाँव करोरन की पूरी भूमि वन भूमि है, यह था कि भूमि को बंद कर दिया गया था। पी. एल. पी. अधिनियम के प्रावधान और इसलिए एक वन था। नतीजतन, इस न्यायालय द्वारा तय किया जाने वाला पहला सवाल यह था कि क्या पी. एल. पी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिसूचित भूमि वन भूमि है या नहीं।

71. इस न्यायालय का विचार था कि बंद में निषिद्ध गतिविधियाँ

पी. एल. पी. अधिनियम के तहत ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें आम तौर पर जंगल में नहीं चलाया जाता है। खेती, चरागाह जैसी गतिविधियों का उल्लेख किया गया।

भेड़ों और बकरियों का निर्माण, कस्बों और गाँवों के निवासियों द्वारा भवनों का निर्माण, पशुओं को चराना, चराना या रखना आदि। इसलिए बंद

13 (2014) 12 एस. सी. सी. 172 एम. सी. एम. एच. टी. ए. बनाम

भारत और ओआरएस का संघ। [मदन बी. लोकुर, जे.]

भूमि वन भूमि नहीं हो सकती थी। इस न्यायालय ने कहा कि पी. एल. पी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिसूचित भूमि वन भूमि हो सकती है या नहीं भी हो सकती है और उच्च न्यायालय का यह निर्णय कि बंद भूमि वन भूमि थी, कानून में बिल्कुल भी सही नहीं था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि उच्च न्यायालय 'वन' और 'वन भूमि' के अर्थ के साथ-साथ गोदावरीमन (12 दिसंबर, 1996 को निर्णय) में इस न्यायालय के निर्णय को सही ढंग से समझने में विफल रहा। 72. यह भी माना गया कि 25 अक्टूबर, 1980 को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 लागू होने के बाद से उच्च न्यायालय को यह तय करना था कि संधू की भूमि उस तारीख को वन भूमि थी या नहीं, चाहे उसका वर्गीकरण या स्वामित्व कुछ भी हो। उच्च न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालने से पहले कि संधू की भूमि वन भूमि थी, 25 अक्टूबर, 1980 के सरकारी रिकॉर्ड की जांच करनी चाहिए थी, न कि केवल पी. एल. पी. अधिनियम के प्रावधानों और वन विभाग के रिकॉर्ड, जो भूमि को केवल इस तथ्य के कारण वन बताते हैं कि पी. एल. पी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत भूमि को बंद कर दिया गया था।

73. इस न्यायालय ने एम. सी. मेहता 1 4 15 में दिए गए दो निर्णयों की भी जांच की। इन निर्णयों को इस आधार पर अलग किया गया था कि वे

हरियाणा राज्य में अरावली पहाड़ियों से संबंधित और आगे यह माना गया कि राज्य वन विभाग इलाज कर रहा है और

(संरक्षण) अधिनियम, 1980। यह ध्यान दिया गया कि इस न्यायालय ने राज्य वन विभाग द्वारा क्षेत्रों को वन के रूप में शामिल करने के आधार की जांच नहीं की है। इस न्यायालय ने इस बात पर भी विचार नहीं किया कि क्या पी. एल. पी. अधिनियम के तहत जारी अधिसूचना के संदर्भ में केवल भूमि को शामिल करके भूमि वन भूमि बन गई। दूसरी ओर, विचाराधीन मामले में पंजाब सरकार ने कहा था कि ग्राम करोरां की पूरी भूमि को वन विभाग के अभिलेखों में वन क्षेत्र के रूप में शामिल करने का आधार था - कि पी. एल. पी. अधिनियम के तहत भूमि को बंद कर दिया गया था और यह आधार कानून में सही नहीं था।

74. इस न्यायालय ने एम. सी. मेहता में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों और आवश्यक निहितार्थ द्वारा पारित आदेशों को अलग किया है।

गोडावर्मन, हम यह नहीं देखते कि संधू में निर्णय आवेदक के लिए किसी भी सहायता का कैसे हो सकता है। संधू में निर्णय अपने तथ्यों तक ही सीमित होना चाहिए।

14 (2004) 12 एससीसी 118 15 (2008) 17 एस. सी. सी. 294 [2018] 11 एस. सी. आर.

75. हम बिना किसी टिप्पणी के उल्लेख कर सकते हैं कि पी. एल. पी. अधिनियम के तहत अधिसूचना जारी करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बंद क्षेत्र में

खेती, भेड़-बकरी चराने जैसी कोई गतिविधि नहीं है,

भवनों का निर्माण, पशु चराना, चराना या मवेशियों को रखना आदि। इसलिए, अधिसूचना एक स्पष्ट संकेत है कि ऐसे बंद क्षेत्र वन भूमि होने चाहिए या वन भूमि के रूप में माने जाने चाहिए ताकि ऐसी आपत्तिजनक गैर-वन गतिविधियाँ उसमें न की जाएं और जो गतिविधियाँ आम तौर पर वनों में नहीं की जाती हैं, वे वन भूमि में निषिद्ध हैं, ताकि ऐसी वन भूमि को संरक्षित और संरक्षित किया जा सके। पी. एल. पी. अधिनियम के तहत एक अधिसूचना भूमि को वन भूमि में परिवर्तित नहीं करती है, लेकिन इसे मान्यता देती है या कम से कम इसे इस तरह से माना जाना आवश्यक है। 76. हम भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 35 (1) के प्रावधानों का भी उल्लेख कर सकते हैं। यह खेती, मवेशियों के चरागाह आदि के लिए भूमि को तोड़ने या साफ करने को संदर्भित करता है और निम्नानुसार पढ़ता हैः

" 35. विशेष उद्देश्यों के लिए वनों का संरक्षण। -

(1) राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी वन या अपशिष्ट-भूमि में विनियमन या निषेध कर सकती है -

(क) खेती के लिए भूमि को तोड़ना या साफ करना;

((ख) पशुओं का चराना; या

(ग) वनस्पति को जलाना या साफ करना;

जब ऐसा विनियमन या निषेध किसी के लिए आवश्यक प्रतीत होता है

निम्नलिखित उद्देश्यः -

(i) तूफानों, हवाओं, लुढ़कते पत्थरों, बाढ़ और हिमस्खलन से सुरक्षा के लिए;

((ख) ढलानों और ढलानों पर और पहाड़ी क्षेत्रों की घाटियों में मिट्टी के संरक्षण के लिए, भूस्खलन की रोकथाम या घाटियों और धाराओं के निर्माण की रोकथाम के लिए, या भूमि को कटाव से बचाने के लिए, या उस पर रेत, पत्थर या बजरी के जमा होने से बचाने के लिए;

((iii) झरनों, नदियों में जल आपूर्ति के रखरखाव के लिए।

और टैंक;

((iv) सड़कों, पुलों, रेलवे और संचार की अन्य लाइनों की सुरक्षा के लिए;

(2) .....

(3) .....

77. हम इसे एम. सी. मेहता के आदेशों के समूह में विशिष्ट विशेषताओं के कारण छोड़ देते हैं, जैसा कि इसके विपरीत और मान्यता प्राप्त है

संधू में तथ्य।

भेष बदलकर समीक्षा करें

अरावली पहाड़ियों का क्षरण और पी. एल. पी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी एक अधिसूचना के निहितार्थ, आवेदक ने कहा इन आवेदनों पर जोर देते हुए और यह तर्क देने की मांग की कि यह अपने स्वामित्व वाली और कांत एन्क्लेव के रूप में जानी जाने वाली भूमि पर निर्माण करने का पूरी तरह से हकदार है। विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुतियाँ दी गई थीं

उन मुद्दों पर आवेदक जिनका इस न्यायालय द्वारा निर्णायक रूप से निपटारा किया गया है और वास्तव में, प्रस्तुतियाँ केवल समय-समय पर की गई प्रस्तुतियों की पुनरावृत्ति थीं और जिन्हें खारिज कर दिया गया है। यह दिल्ली प्रशासन बनाम पर भरोसा करते हुए आवेदक के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया था। गुरदीप सिंह उबन 1 ने कहा कि उसके और रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दायर किए गए आवेदन पूरी तरह से बनाए रखने योग्य थे। निर्णय में चर्चा किए गए बिंदु संख्या 1 का संदर्भ दिया गया था। यह बिंदु इस प्रकार हैः

तुरंत अदालत? क्या ऐसे आवेदन समीक्षा आवेदनों को खारिज करने के बाद भी दायर किए जा सकते हैं? क्या है प्रक्रिया ऐसे
मामलों में इसका पालन किया जा सकता है?

79. इस न्यायालय ने इस प्रश्न पर काफी विस्तार से विचार किया और आवेदनों के सार की किसी भी उचित जांच के बिना अयोग्य मामलों में समीक्षा आवेदन दायर करने की प्रथा की निंदा की। यह ध्यान दिया गया कि इस तरह की समीक्षा याचिकाओं को अंधाधुंध रूप से दायर करने से न्यायालय का समय बर्बाद होता है और समीक्षा आवेदन दायर करने में कुछ गंभीरता और संयम होना चाहिए। इस न्यायालय ने निम्नलिखित तरीके से प्रश्न का उत्तर दियाः

" शुरुआत में, हमें अनुचित मामलों में बड़ी संख्या में समीक्षा आवेदन दायर करने की प्रथा का उल्लेख करना होगा, बिना ठीक से जांच किए कि क्या मामले सख्ती से संकीर्णता के दायरे में आते हैं।

उच्चतम न्यायालय के नियमों के नियम XL की सीमाएँ। कई मामलों में, यह लगभग रोजमर्रा का अनुभव बन गया है कि समीक्षा आवेदन नियमित रूप से यांत्रिक रूप से दायर किए जाते हैं और समीक्षा के लिए आधार केवल विशेष अवकाश के आधारों का पुनरुत्पादन है और इस बात का कोई संकेत नहीं है कि कौन सा आधार नियमों के नियम XL की संकीर्ण सीमाओं के भीतर आता है। हम इस प्रथा की गंभीरता से निंदा करते हैं। यदि पक्षकार अंधाधुंध समीक्षा याचिका दायर करते हैं, तो न्यायालय का समय अनावश्यक रूप से बर्बाद हो जाता है, यहां तक कि यह उन कक्षों में भी हो जहां समीक्षा याचिकाएं सूचीबद्ध हैं। अधिक देखभाल, गंभीरता

और समीक्षा आवेदन दाखिल करने में संयम की आवश्यकता है।

80. यह स्पष्ट किया गया था कि जो महत्वपूर्ण है वह आवेदन का सार है न कि उसे दिया गया शीर्षक और स्पष्टीकरण या संशोधन या वापस बुलाने की आवश्यकता वाले वास्तविक मामलों पर निश्चित रूप से विचार किया जाएगा। इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित टिप्पणी की गई थीः

" हालाँकि, हमें यह कहते हुए नहीं समझा जाना चाहिए कि किसी भी मामले में "स्पष्टीकरण", "संशोधन" या "वापस बुलाने" के लिए आवेदन मामले के पहले निपटारे के बाद बनाए रखने योग्य नहीं है। हम केवल इतना कह रहे हैं कि एक बार जब ऐसा आवेदन न्यायालय में सूचीबद्ध हो जाता है, तो न्यायालय इस बात की जांच करेगा कि क्या यह सारतः समीक्षा की प्रकृति का है और इसे लागत के साथ या बिना किसी लागत के खारिज किया जाना है या फिर परिसंचरण द्वारा कक्षों में सूचीबद्ध की जाने वाली समीक्षा याचिका दायर करने के लिए अनुमति के साथ वापस लेने की आवश्यकता है। बिंदु 1 उसी के अनुसार तय किया जाता है।

81. इस आधार पर, आवेदक के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि आवेदक को आगे बढ़ने या दबाने पर कोई रोक नहीं थी

उपयुक्त अनुप्रयोग और ठीक यही किया गया है।

82. हमारी राय में, हमारे सामने इन आवेदनों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो दूर से यह सुझाव दे कि इस न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों की आवश्यकता है

कोई स्पष्टीकरण या संशोधन या स्मरण। आवेदकों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को इसकी कई पीठों द्वारा जटिल माना गया है।

अदालत और वे सभी एक समान निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अरावली पहाड़ियों का पर्यावरणीय और पारिस्थितिक क्षरण बंद होना चाहिए और हर कोई पी. एल. पी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी अधिसूचना की शर्तों से बंधा है और इसके तहत बंद भूमि।

18 अगस्त, 1992 की अधिसूचना एक वन है और इसे वन माना जाना चाहिए।

83. इसके अलावा, इस न्यायालय द्वारा गुरदीप सिंह उबन में व्यक्त किया गया विचार केवल संशोधन, स्पष्टीकरण के लिए आवेदनों तक सीमित नहीं हो सकता है।

- आवेदन का सार महत्वपूर्ण है और यदि यह सार में समीक्षा के लिए एक आवेदन पाया जाता है, तो इसे न्यायालय द्वारा इस तरह से और परिसंचरण द्वारा निपटाया जाना चाहिए। 84. आवेदक द्वारा दायर मूल आवेदनों पर विचार करते हुए, हमारी स्पष्ट राय है कि ये आवेदन और कुछ नहीं बल्कि प्रच्छन्न समीक्षा याचिकाएं हैं और उन्हें इस न्यायालय द्वारा पारित उचित आदेश के बिना खुले न्यायालय में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया जाना चाहिए था। उन्हें पहले प्रसारित किया जाना चाहिए था और समीक्षा याचिकाओं के रूप में निपटा जाना चाहिए था और यदि संबंधित पीठ का विचार था कि उन्हें खुले न्यायालय में सुना जाना आवश्यक है, तो ही उन्हें खुले न्यायालय में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना चाहिए था। हालाँकि, हम इस संबंध में खुद को और हिरासत में नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम इन आवेदनों को योग्यता के आधार पर निपटाने का प्रस्ताव करते हैं, उन्हें इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के स्पष्टीकरण, संशोधन, वापस बुलाने, पुनर्विचार आदि के लिए आवेदनों के रूप में मानते हैं।

85. आवेदकों (कांट एंड कंपनी के साथ-साथ कांट एन्क्लेव के रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन) और विद्वानों के लिए विद्वान वकील

न्यायमित्र ने कुछ दिनों में विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत प्रस्तुतियाँ दीं जो उनका मानना था कि इन मामलों में उत्पन्न हुए थे। भले ही हमारी राय है कि इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिए गए कई निर्णयों को देखते हुए, इस तरह के प्रस्तुतिकरण विद्वान वकील द्वारा किए जाने के लिए खुले नहीं हैं, फिर भी, प्रस्तुतिकरण किए जाने के बाद, हम उनमें से प्रत्येक पर विचार करेंगे।

क्या अधिसूचित भूमि वन है या वन माना जाता है?

86. आवेदकों के लिए विद्वान वकील द्वारा आग्रह किया गया प्रमुख तर्क यह है कि विचाराधीन भूमि खसरा संख्या। 9 गाँव में 16 तक [2018] 11 एस. सी. आर.

18 अगस्त, 1992 को पी. एल. पी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिसूचित अनंगपुर वन भूमि नहीं थी। यह निवेदन स्पष्ट रूप से अस्वीकार किए जाने योग्य है।

(i) हरियाणा राज्य के शपथ पत्र

87. इस संबंध में हम श्री बनारसी दास, आई. एफ. एस., प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा के शपथ पत्र का उल्लेख कर सकते हैं। शपथ पत्र दिनांक 8 दिसंबर, 1996 को पर्यावरण जागरूकता मंच v में दायर किया गया था। जम्मू और कश्मीर राज्य। 1 7 इस शपथ पत्र में यह कहा गया है कि हरियाणा में कुल वन क्षेत्र 1985-86 1,68,543 हेक्टेयर था। इसमें पीएलपी अधिनियम के तहत बंद किए गए 26,499 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल हैं। दूसरे शब्दों में, अगर पहले नहीं, तो हरियाणा सरकार के प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने पी. एल. पी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत बंद क्षेत्रों को वन भूमि माना और माना। यह वर्तमान विवाद उत्पन्न होने से बहुत पहले की बात थी। हलफनामे में आगे कहा गया है कि 1995-96 में हरियाणा का कुल वन क्षेत्र 1,54,706 हेक्टेयर था और इसमें पीएलपी अधिनियम के तहत बंद किया गया 11,513 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल था। यह हमारे लिए बिल्कुल स्पष्ट है कि जहां तक हरियाणा राज्य का संबंध है, पी. एल. पी. अधिनियम के तहत बंद क्षेत्रों को हमेशा समान माना जाता था।

वन भूमि और यह इस मामले में कोई विवाद उत्पन्न होने से बहुत पहले था।

88. इस न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश के अनुसार वन विभाग में आयुक्त और सचिव श्री एस. के. माहेश्वरी, आई. ए. एस. द्वारा 25 फरवरी, 1997 को एक हलफनामा दायर किया गया था। शपथ पत्र में दाखिल किया गया था

पी. एल. पी. अधिनियम के तहत बंद करने का। इसलिए, 1900 से वन भूमि की पहचान करना एक भारी काम होता और अनावश्यक अभ्यास से बचने के लिए, 25 अक्टूबर, 1980 की कट-ऑफ तिथि ली गई। हलफनामे को इस अर्थ में नहीं पढ़ा या समझा जा सकता है कि 25 अक्टूबर, 1980 को सरकारी अभिलेखों में 'वन' के रूप में दर्ज नहीं की गई भूमि कभी भी 'वन' नहीं बन सकती है या उसे मान्यता नहीं दी जा सकती है या माना नहीं जा सकता है। यह बहुत दूर की बात होगी और पी. एल. पी. अधिनियम की मूल भावना के खिलाफ होगी।

17 1996 का डब्ल्यू. पी. No.171 एम. सी. एम. ई. एच. टी. ए बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। [मदन बी. लोकुर, जे.]

89. हरियाणा के मुख्य सचिव श्री प्रेम प्रशांत, आई. ए. एस. का हलफनामा हमें आई. डी. 1 और 25 अक्टूबर, 1980 से आगे ले जाता है। आवेदकों (एम. सी. मेहता में) द्वारा दायर 2005 के आईडी1 के जवाब में दायर 10 सितंबर, 2006 के हलफनामे में श्री प्रेम प्रशांत हमें वन और पशुपालन के माध्यम से हरियाणा राज्य द्वारा जारी 10,1970 और 10 नवंबर, 1980 की अधिसूचनाओं पर वापस ले जाते हैं।

विभाग और 16 नवंबर, 1995 की बाद की अधिसूचनाएँ

और 28 नवंबर, 1997। यह रिकॉर्ड पर लाने के लिए था कि पीएलपी अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग जारी अधिसूचनाओं के माध्यम से किया गया है इसके तहत वनों और वन भूमि के संरक्षण और संरक्षण के लिए कई दशकों तक, भले ही ऐसी भूमि को सरकारी अभिलेखों में 'वन' के रूप में दर्ज नहीं किया गया हो। यह पी. एल. पी. अधिनियम के प्रावधानों और भावना के अनुरूप होगा।

शहरी क्षेत्रों का विकास और विनियमन अधिनियम, 1975) को अस्तित्व में रखने की अनुमति दी जा सकती है। इस हलफनामे को 18 अगस्त, 1992 की अधिसूचना के साथ पढ़ा जाना चाहिए और यदि यह गंभीर है, तो यह सुझाव देता है कि मुख्य सचिव चाहते थे कि 17 अप्रैल, 1984 और 18 अगस्त, 1992 के बीच किए गए निर्माणों को अस्तित्व में रहने दिया जा सके। हालाँकि, श्री धरम वीर ने भी इस बात पर संदेह या इनकार नहीं किया कि पी. एल. पी. अधिनियम के तहत बंद क्षेत्र वन या वन भूमि हैं। उन्होंने केवल आवेदकों को संभावित राहत देने का सुझाव दिया। 91. इसलिए हरियाणा सरकार का विचार बिल्कुल स्पष्ट और सुसंगत है कि पी. एल. पी. अधिनियम के तहत अधिसूचित भूमि वन भूमि है और उस पर कोई निर्माण नहीं किया जा सकता है, लेकिन यदि कुछ कमजोर किया जाना है, तो यह केवल 17 अप्रैल, 1984 और 18 अगस्त, 1992 के बीच की अवधि के लिए होना चाहिए।

92. मुख्य सचिव या प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से हरियाणा राज्य द्वारा दायर हलफनामों के अलावा या वन विभाग के आयुक्त और सचिव, हम जानते हैं कि नगर और देश योजना विभाग के आचरण और पत्राचार के माध्यम से कि वह बंद क्षेत्रों में निर्माण की अनुमति देने के लिए बहुत उत्सुक था। हमें यकीन नहीं है कि नगर और देश योजना विभाग लगातार अपने रास्ते से हटकर [2018] 11 एस. सी. आर. क्यों बन रहा था।

आवेदकों को सहायता, लेकिन जो भी कारण हो, अरावली पहाड़ियों के पर्यावरणीय क्षरण की सिफारिश करना स्पष्ट था।

((ii) इस न्यायालय के आदेश

93. हरियाणा राज्य के हलफनामों के अलावा, इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर गोदावरी में पारित किए गए विभिन्न आदेश और

एम. सी. मेहता यह बहुत स्पष्ट करते हैं कि पी. एल. पी. अधिनियम के तहत बंद क्षेत्र वन और वन भूमि हैं और इन्हें वन भूमि के रूप में माना जाना चाहिए।

94. इस न्यायालय के निर्णय, 10 मई, 1996 1 8 तक वापस जाते हैं जब इस न्यायालय ने पर्यावरण के संरक्षण से निपटने का प्रस्ताव दिया था और

इन पर्यटक रिसॉर्ट्स से 5 किमी के दायरे में संचालन और ऊपर उल्लिखित रिपोर्टों पर विचार करने पर, यह निष्कर्ष निकाला गया कि बडकल झील और सूरजकुंड के पर्यटक रिसॉर्ट्स के 2 किमी के दायरे में कोई खनन गतिविधि नहीं होगी। उक्त दायरे में आने वाली सभी खदानों को फिर से नहीं खोला जाएगा। यह भी निर्देश दिया गया कि अब 5 किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार की निर्माण गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। बडकल झील और सूरजकुंड के दायरे और सभी खुले क्षेत्रों को हरित पट्टियों में परिवर्तित किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में भी उल्लेख कियाः

" बडकल झील और सूरजकुंड मानसून द्वारा पोषित जल निकाय हैं। आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों का प्राकृतिक जल निकासी पैटर्न बरसात के मौसम में इन जल निकायों को पानी देता है। इन पर्यटक रिसॉर्ट्स के आसपास की खनन गतिविधियों से वर्षा जल निकासी बाधित हो सकती है जो बदले में जल स्तर के साथ-साथ इन जल निकायों की जल गुणवत्ता को भी बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। खनन से उपसतह में फ्रैक्चर और दरारें भी पड़ सकती हैं, जिससे चट्टान की परत बन सकती है।

जलभृतों में गड़बड़ी जो भूजल का स्रोत हैं।

यह क्षेत्र के जल विज्ञान को बाधित कर सकता है।

95. 10 मई, 1996 के आदेश को बाद में 11 अक्टूबर, 1996 को इस प्रभाव से संशोधित किया गया कि अब निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।

कुछ क्षेत्रों में गतिविधि की अनुमति नहीं होगी, और कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं था। निर्माण की अनुमति अत्यधिक आवश्यकता के अधीन थी

18 एम. सी मेहता बनाम भारत संघ, (1996) 8 एस. सी. सी. 462

19 एम. सी. मेहता (बड़खल और सूरजकुंड झीलों का मामला) v. भारत संघ, (1997) 3 एस. सी. सी. 715 एम. सी. एम. एच. टी. ए. बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। [मदन बी. लोकुर, जे.]

मनोरंजन और पर्यटन उद्देश्य और कोई अन्य नहीं। हालांकि, विकसित क्षेत्रों में 10 मई, 1996 से पहले बेचे गए या आवंटित भूखंडों को छूट दी गई थी (बाद में इसमें बदलाव किया गया था)। इसे आगे निर्देशित किया गया

इस प्रकार हैः

" बड़खल झील और सूरजकुंड (दिल्ली क्षेत्रों को छोड़कर) के एक किलोमीटर से 5 किलोमीटर के दायरे में सभी प्रकार की इमारतों से संबंधित सभी विकास योजनाओं और सभी प्रकार के निर्माण की योजनाओं को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पूर्व मंजूरी होगी। 96. इसके अलावा, जल प्रबंधन के मुद्दे के संबंध में,

न्यायालय ने राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट का उल्लेख किया और निम्नलिखित रूप में नोट कियाः

" ..... रिपोर्ट के अनुसार सूरजकुंड झील बारिश और प्राकृतिक झरनों से पानी लेती है। बड़खल झील एक मिट्टी के बांध के निर्माण के कारण बनी एक बांध है। इन झीलों के जलग्रहण क्षेत्रों को रिपोर्ट के साथ संलग्न एक आकृति में दिखाया गया है। रिपोर्ट में बताए गए भूमि उपयोग और मिट्टी के प्रकारों से पता चलता है कि बडखल झील और सूरजकुंड मानसून द्वारा पोषित जल निकाय हैं। आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों का प्राकृतिक जल निकासी पैटर्न बरसात के मौसम में इन जल निकायों को पानी देता है। इन पर्यटक रिसॉर्ट्स के आसपास बड़े पैमाने पर निर्माण वर्षा जल नालियों को बाधित कर सकता है जो बदले में जल स्तर के साथ-साथ जल स्तर को भी बुरी तरह प्रभावित कर सकता है।

इन जल निकायों की जल गुणवत्ता। यह भूजल के स्रोत जलभृतों में भी गड़बड़ी पैदा कर सकता है। द. क्षेत्र की
जलविज्ञान भी बाधित हो सकती है।

कांत एन्क्लेव की आबादी के लिए जल आपूर्ति की मांग को पूरा करने के लिए स्तर का पूरी तरह से उपयोग किया जाएगा। 98. पर्यावरण और पानी की उपलब्धता को इन सभी चिंताओं के बावजूद, तथ्य यह है कि आज बडकल झील हड्डी सूखी है और 'झील' में पानी नहीं है। हमने विशेष रूप से पक्षों के लिए विद्वान वकील के साथ-साथ विद्वान न्यायमित्र से इसके बारे में पूछा था

बड़कल झील की स्थिति और हमें काफी स्पष्ट रूप से बताया गया था कि आज [2018] 11 एस. सी. आर.

बड़कल झील में बिल्कुल पानी नहीं है। पर्यावरण को नुकसान हुआ है और अपरिवर्तनीय प्रतीत होता है। 99. इस न्यायालय द्वारा 12 दिसंबर को एक अधिक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया गया था, इस आदेश के माध्यम से, इस न्यायालय ने 'वन' और 'वन भूमि' के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यह विचार लिया गया कि दोनों अभिव्यक्तियों को उनका शब्दकोश या प्राकृतिक अर्थ दिया जाना चाहिए और यदि इस पर विचार किया जाए, तो इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि पी. एल. पी. अधिनियम के तहत अवक्रमित वन और बंद भूमि वन भूमि के अलावा और कुछ नहीं हैं। इसी तरह, एम. सी. मेहता में इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित आदेश यह जोर से और स्पष्ट करते हैं कि अरावली पहाड़ियों को पर्यावरण क्षरण से सुरक्षा की आवश्यकता है और यह सुनिश्चित करने के लिए कानूनों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए कि अरावली पहाड़ियों की पारिस्थितिकी को कोई नुकसान न हो। इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर व्यक्त किए गए विचारों और निष्कर्षों की स्पष्ट अभिव्यक्ति को देखते हुए और कई मौकों पर दोहराए जाने पर हमें कोई संदेह नहीं है कि पी. एल. पी. अधिनियम के तहत बंद क्षेत्र वन भूमि के अलावा और कुछ नहीं हैं और इस तरह के व्यवहार के योग्य हैं।

100. 12 दिसंबर, 1996 को दिए गए निर्णय में इस न्यायालय ने उन क्षेत्रों की पहचान करने का निर्देश दिया जो 'वन' हैं, चाहे वे कुछ भी हों।

चाहे वे किसी भी कानून के तहत अधिसूचित, मान्यता प्राप्त या वर्गीकृत किए गए हों, और ऐसे वन की भूमि के स्वामित्व की परवाह किए बिना। इसके परिणामस्वरूप

प्रत्येक राज्य सरकार को अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्देश दिए गए थेः (i) उन क्षेत्रों की पहचान करें जो "वन" हैं, चाहे वे किसी भी कानून के तहत अधिसूचित, मान्यता प्राप्त या वर्गीकृत हों, और

((ii) उन क्षेत्रों की पहचान करें जो पहले वन थे लेकिन अवक्रमित, अस्वच्छ या साफ़ किए गए हैं। 101. अरावली पहाड़ियों के पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए इस न्यायालय द्वारा दिखाई गई चिंता के बावजूद, उन्हें मौन समर्थन दिया गया

हरियाणा राज्य के नगर और ग्राम योजना विभाग के आवेदकों ने वन विभाग के प्रयासों के साथ-साथ इस न्यायालय के आदेशों को पूरी तरह से दूषित कर दिया। ऐसा हुआ कि दिल्ली रिज प्रबंधन बोर्ड को 29 नवंबर, 2001 को 2001 की आई. ए. संख्या 1785 के रूप में एक आवेदन दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसमें कहा गया था कि रिज में भूजल की निकासी और पम्पिंग गंभीर चिंता का विषय था। इसलिए यह प्रार्थना की गई कि हरियाणा सरकार को सभी खनन गतिविधियों और खनन गतिविधियों को रोकने का निर्देश दिया जाए।

20 टी. एन. गोडावर्मन बनाम भारत संघ, (1997) 2 एस. सी. सी. 267 एम. सी. एम. एच. टी. ए. बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। [मदन बी. लोकुर, जे.]

102. इसके बाद, ई. पी. सी. ए. ने केंद्रीय भूजल बोर्ड से प्राप्त जानकारी के आधार पर 21 अक्टूबर, 2002 को एक और रिपोर्ट दी कि खनन गतिविधि चल रही थी और खदानें भूजल स्तर से नीचे काम कर रही थीं, जिसके परिणामस्वरूप भूजल स्रोतों का दोहन और विनाश हो रहा था। 103. इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का खुलेआम उल्लंघन करने के परिणामस्वरूप केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सी. ई. सी.) का गठन हुआ।

इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 17 सितंबर, 2002 को। सी. ई. सी. ने इस न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत की

समय-समय पर। इन्हें पहले ही स्वीकार कर लिया गया है और इन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

104. 18 मार्च, 2004 के अपने निर्णय में इस न्यायालय ने इस सभी सामग्री पर विचार किया और अपने समक्ष उठाए गए सभी मुद्दों को संबोधित किया।

पर्यावरणीय और पारिस्थितिक क्षरण के मुद्दे।

105. इस न्यायालय ने विशेष रूप से इस सवाल पर खुद को संबोधित किया कि क्या पी. एल. पी. अधिनियम के तहत बंद क्षेत्र किसी भी प्रकार के 'वन' हैं। यह न्यायालय

इस बात का उल्लेख किया कि हरियाणा राज्य के वन विभाग ने अपने अभिलेखों में ऐसे क्षेत्रों को 'वन' के रूप में दिखाया और ऐसे क्षेत्रों को 'वन' के रूप में माना; हरियाणा राज्य की ओर से इन क्षेत्रों में लंबित मामलों में शपथ पत्र भी दायर किए गए थे।

इस न्यायालय ने 12 दिसंबर, 1996 के अपने आदेश में 'वन' और 'वन भूमि' शब्द को स्पष्ट रूप से समझाया था और अंत में हरियाणा सरकार ने स्वयं केंद्र सरकार से पी. एल. पी. अधिनियम के तहत अधिसूचनाओं द्वारा बंद की गई भूमि को गैर-वन उद्देश्यों के लिए मोड़ने की अनुमति मांगी थी। इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि हरियाणा राज्य अब यह तर्क नहीं दे सकता कि पी. एल. पी. अधिनियम के तहत बंद क्षेत्र वन नहीं हैं। इस न्यायालय ने आई. ए. का निपटारा किया। 2001 की सं. 1785 और 6 मई, 2002 को पारित आदेश की पुष्टि की और कहा कि पी. एल. पी. अधिनियम के तहत बंद क्षेत्रों का उपयोग गैर [2018] 11 एस. सी. आर. के लिए नहीं किया जा सकता है।

केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना वन उद्देश्य वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत।

(iii) कांत एन्क्लेव की समीक्षा याचिका

106. इस न्यायालय द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को देखते हुए, जो स्पष्ट रूप से आवेदकों के अनुकूल नहीं थे, आर. कांत एंड कंपनी द्वारा 26 फरवरी, 1997 को या उसके आसपास 1997 की आर. पी. संख्या 914 के रूप में एक समीक्षा याचिका दायर की गई थी। समीक्षा याचिका में यह खुलासा नहीं किया गया था कि पीएलपी अधिनियम के तहत अधिसूचना जारी की गई थी। इस बात को छिपाना बेहद जरूरी है।

107. समीक्षा याचिका को 17 मार्च, 1997 को विचार के लिए लिया गया था जब यह स्पष्ट किया गया था कि घरों के निर्माण की योजनाओं को सक्षम प्राधिकरण के समक्ष दायर किया जा सकता है जो लागू नियमों के अनुसार उनकी जांच कर सकता है और यदि योजनाएं क्रम में हैं, तो उन्हें "अगले आदेश तक तैयार रखा जा सकता है"। चूंकि इस न्यायालय के समक्ष पूर्ण तथ्य नहीं रखे गए थे, इसलिए इस आशय का आदेश पारित किया गया था कि जाँच के प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई आग्रह नहीं किया जाना चाहिए। यह भी देखा गया कि ढाई मंजिला इमारतों का निर्माण किया जा सकता है।

108. 13 मई, 1998 को न्यायालय ने 17 मार्च, 1997 को पारित आदेश को इस प्रभाव से संशोधित किया कि कुछ निजी क्षेत्रों में जहां

निर्माण का प्रस्ताव है, केवल एक मंजिला झोपड़ियों का निर्माण करने की अनुमति दी जा सकती है न कि ऊँची इमारतों का जैसा कि मूल रूप से कल्पना की गई थी। इसलिए, इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अगले आदेश तक निर्माण की अनुमति नहीं थी, लेकिन उस योजना को तैयार किया जा सकता था और उसकी जांच की जा सकती थी।

109. उपरोक्त आदेशों का एक संदर्भ स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि हरियाणा राज्य और आवेदकों को इस न्यायालय की कार्यवाही की पूरी जानकारी थी, लेकिन उन्होंने क्षेत्र के पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए कोई चिंता नहीं दिखाई।

110. हमारी राय में, आर. कांत एंड कंपनी के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण था कि वह अपने द्वारा दायर समीक्षा याचिका में पूर्ण तथ्यों के साथ सामने आई, अधिक एम. सी. एम. ई. एच. टी. ए. बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। [मदन बी. लोकुर, जे.]

विशेष रूप से 18 अगस्त, 1992 की अधिसूचना जारी करने का तथ्य। इस भौतिक तथ्य का खुलासा करने में विफलता इस न्यायालय में आवेदक द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को दूषित करती है।

(iv) आवेदक द्वारा दायर अंतर्वर्ती आवेदन

111. वन और वन भूमि क्या है, पी. एल. पी. अधिनियम के तहत अधिसूचित बंद क्षेत्रों की स्थिति और अरावली पहाड़ियों के पर्यावरण और पारिस्थितिक क्षरण के मुद्दों पर पूरी स्पष्टता के बावजूद, आवेदकों ने 2005 की आई. ए. संख्या 1901 (एम. सी. मेहता में) अक्टूबर 2005 में किसी समय दायर करने का साहस किया, जिसमें यह प्रार्थना की गई थी कि 18 मार्च, 2004 को इस न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय केवल खनन गतिविधियों तक ही सीमित है और आवेदक द्वारा की गई निर्माण गतिविधियों को प्रभावित नहीं करता है, जो 13 मई, 1998 को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को देखते हुए वह करने का हकदार है।

112. आवेदन के जवाब में, दिनांकित एक शपथ पत्र

10 सितंबर, 2006 को हरियाणा के मुख्य सचिव श्री प्रेम प्रशांत, आई. ए. एस. द्वारा दायर किया गया था जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि वनों और वन भूमि की सुरक्षा के लिए पी. एल. पी. अधिनियम के प्रावधानों का समय-समय पर सहारा लिया गया है। इस संबंध में उन्होंने हरियाणा राज्य द्वारा 12 मार्च, 1970 को जारी अधिसूचनाओं को संलग्न किया।

वन और पशुपालन विभाग, 10 नवंबर, 1980 वन विभाग के माध्यम से, 16 नवंबर, 1995 वन विभाग के माध्यम से और 28 नवंबर, 1997 वन विभाग के माध्यम से।

113. 18 अगस्त, 1992 की अधिसूचना वनों और वन भूमि के संरक्षण के लिए ऐसी अधिसूचनाओं में से एक थी। यह था।

27 जनवरी, 2006 और 27 जून, 2006 के पत्र लेकिन आवेदक ने ऐसा नहीं किया। यह विशेष रूप से आवेदक को दोनों में इंगित किया गया था पत्र जो आवेदक द्वारा किए गए निर्माण अवैध थे, लेकिन जाहिर है, कोई प्रभाव नहीं था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

114. आवेदन को तीन विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ द्वारा विचार के लिए लिया गया था, जिन्होंने 14 मई, 2008 के एक फैसले और आदेश द्वारा आवेदन को खारिज कर दिया था। 2 1 21 पी. एल. पी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी अधिसूचना द्वारा बंद की गई भूमि वन भूमि थी या नहीं, इस मुद्दे पर इस न्यायालय द्वारा एक बार फिर विचार किया गया और 18 मार्च, 2004 को दिए गए निर्णय को विशेष रूप से और स्पष्ट रूप से दोहराया गया। 115. हमने कल्पना की होगी कि आवेदक आर. कांत एंड कंपनी ने अपनी समीक्षा याचिका, अंतर्वर्ती आवेदन के साथ-साथ इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को खारिज करने से सबक सीखा होगा।

समय-समय पर और विशेषज्ञ निकायों द्वारा दी गई रिपोर्ट, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता है। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि 14 मई, 2008 को दिए गए इस न्यायालय के निर्णय के बाद आर. कांत एंड कंपनी ने 11 जुलाई, 2008 को 2008 की आई. ए. संख्या 2310 के रूप में एक आवेदन दायर किया था, जिसमें इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार 23 मई, 2008 को जारी किए गए संचार को चुनौती दी गई थी। इसके बाद, आवेदक ने आई. ए. संख्या भी दाखिल की। 2377-79 सी. ई. सी. द्वारा दायर रिपोर्टों पर आपत्ति जताते हुए। इन आई. ए. पर हमारे सामने बहस नहीं की गई थी और इन आई. ए. के संबंध में कोई प्रस्तुति नहीं दी गई थी।

(v) इस न्यायालय में फिर से उठाया गया मुद्दा

116. इस न्यायालय में वर्तमान आवेदनों के लंबित होने से आवेदकों को एक बार फिर पी. एल. पी. अधिनियम के तहत बंद क्षेत्रों के वन या वन भूमि नहीं होने के मुद्दे को उठाने का अवसर मिला। संधू में इस न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया गया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि इस न्यायालय ने संधू में एक विसंगत टिप्पणी की थी। हम सहमत नहीं हो सकते क्योंकि संधू के निर्णय ने स्वयं तथ्यों और कानून दोनों पर एम. सी. मेहता के आदेशों के समूह को अलग किया। संधू में दिया गया निर्णय, कल्पना के किसी भी विस्तार से, आवेदकों की सहायता के लिए नहीं आ सकता है।

117. हम केवल इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, यह स्पष्ट रूप से इंगित करने के लिए सामग्री का खजाना है कि पी. एल. पी. अधिनियम के तहत बंद भूमि वन भूमि है या किसी भी स्थिति में, आवश्यक है

वन भूमि माना जाता है। पी. एल. पी. अधिनियम के तहत जारी कई अधिसूचनाएं हमारे संज्ञान में लाई गई हैं जो कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित करती हैं जिन्हें वन भूमि पर नहीं किया जाना चाहिए। मुख्य सचिव द्वारा दायर हलफनामों सहित हरियाणा राज्य के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा दायर हलफनामों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पी. एल. पी. अधिनियम के तहत बंद की गई भूमि वन भूमि है। इसी तरह, इस न्यायालय द्वारा इसी प्रभाव के लिए निर्णय और आदेश पारित किए गए हैं और हरियाणा राज्य का आचरण,

21 एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ, (2008) 17 एस. सी. सी. एम. सी. एम. एच. टी. ए. बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। [मदन बी. लोकुर, जे.]

वन विभाग को शामिल करना और नगर और देश योजना विभाग के साथ इसका संबंध इस बात का स्पष्ट संकेत है कि इसके तहत बंद की गई भूमि

पीएलपी अधिनियम के प्रावधान वन या वन भूमि के अलावा और कुछ नहीं हैं।

118. इसमें कोई संदेह नहीं है कि संधू तथ्यों और कानून दोनों के आधार पर अलग-अलग हैं और इस अदालत ने संधू में दिए गए फैसले में इसे मान्यता दी है। आवेदकों के लिए विद्वान वकील द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि क्योंकि इस न्यायालय ने बंद क्षेत्रों को वन के रूप में शामिल करने के आधार की जांच नहीं की थी, इसलिए 18 अगस्त, 1992 की अधिसूचना को दूषित कर दिया गया है। संधू में सम्मान के साथ एक अवलोकन पर रखा गया भरोसा, सख्ती से मान्य नहीं हो सकता है, इस अर्थ में कि यह इंगित करने के लिए पर्याप्त सामग्री थी कि क्यों, कम से कम 1970 से बंद क्षेत्रों को बंद कर दिया गया है।

वन के रूप में शामिल और हरियाणा राज्य द्वारा वन के रूप में माना जाता है। हम यह भी जोड़ सकते हैं कि एक समिति की एक रिपोर्ट थी जिसके कारण अंततः 18 अगस्त, 1992 की अधिसूचना जारी की गई, लेकिन दुर्भाग्य से हरियाणा राज्य के विद्वान वकील से हमारे अनुरोध के बावजूद इसे हमारे सामने नहीं रखा गया।

119. महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी ने भी 18 अगस्त, 1992 की अधिसूचना की वैधता या शुद्धता को चुनौती नहीं दी है। हम यह नहीं देखते हैं कि बिना किसी प्रत्यक्ष हमले के अधिसूचना की शुद्धता या वैधता को कैसे चुनौती दी जा सकती है। इस न्यायालय के एक अन्य निर्णय पर भरोसा करके संपार्श्विक हमले की अधिक निश्चित रूप से अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसका अदालत के तथ्यों से कोई लेना-देना नहीं है।

वर्तमान मामला।

120. दूसरी ओर, आवेदकों ने हर बार 'चुनौती' दी है

इस न्यायालय द्वारा पारित महत्वपूर्ण आदेश, या तो समीक्षा याचिका के माध्यम से या अंतर्वर्ती आवेदनों के माध्यम से। याचिकाकर्ताओं ने इस तरह के हर साहस में असफल।

121. मामले के सभी तथ्यों और इस विषय पर कानून के समग्र दृष्टिकोण को देखते हुए, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि कांत एन्क्लेव एक जंगल है या एक जंगल है।

वन भूमि या वन या वन भूमि के रूप में माना जाना आवश्यक है और 18 अगस्त, 1992 से इस पर किसी भी निर्माण गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। उस तारीख के बाद से कांत एन्क्लेव में कोई भी और सभी निर्माण गतिविधि अवैध है और कानून में इसकी अनुमति नहीं है।

खनन केंद्रित आदेश

122. आवेदकों के लिए विद्वान वकील द्वारा अगली प्रस्तुति इस आशय की थी कि इस न्यायालय द्वारा पारित सभी आदेश [2018] 11 एस. सी. आर. थे।

खनन केंद्रित और कांत एन्क्लेव में निर्माण गतिविधि से संबंधित नहीं था। इस तर्क को केवल अस्वीकार करने के लिए कहा गया है। इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को केवल पढ़ना और समझना होगा और यह स्पष्ट होगा कि इस न्यायालय की चिंता अरावली पहाड़ियों में और उसके आसपास के पर्यावरण को संरक्षित और संरक्षित करना था और आम तौर पर इससे बचना था।

खनन गतिविधि और निर्माण दोनों को रोकने के माध्यम से क्षेत्र का पर्यावरणीय और पारिस्थितिक क्षरण। दुर्भाग्य से, यह न्यायालय हरियाणा राज्य की उदासीनता और आवेदकों की दृढ़ता के कारण अपने आदेशों को पूरी तरह से लागू करने में असमर्थ था, जिसके परिणामस्वरूप बडकल झील आज, निश्चित रूप से, पूरी तरह से सूखी है।

123. इस दुखद स्थिति को सुनिश्चित करने में राज्य के कुछ अधिकारियों की गलती हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्रशासक द्वारा दायर 2007 की आई. ए. संख्या 2269 से काफी स्पष्ट है, जिसमें पहली प्रार्थना इस आशय की है कि इस न्यायालय को एक उचित निर्देश जारी करना चाहिए कि 18 मार्च, 2004 का निर्णय और आदेश था

केवल खनन गतिविधियों तक ही सीमित था और फरीदाबाद नगर निगम या हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुसार किए गए विकास या शहरीकरण या निर्माण गतिविधियों को प्रभावित नहीं करता था। इस न्यायालय द्वारा पारित स्पष्ट निर्णय और आदेश के बावजूद, राज्य सरकार के कुछ वर्गों का रवैया स्पष्ट रूप से नहीं बदला और खनन गतिविधि और निर्माण गतिविधि के माध्यम से अप्रतिबंधित विकास को पर्यावरण पर प्राथमिकता दी गई, जिसके परिणामस्वरूप अन्य बातों के अलावा एक सूखी बड़कल झील बन गई।

गलत तरीके से जारी की गई अधिसूचना

18 अगस्त, 1992 की अधिसूचना एक गलती थी और हरियाणा राज्य का हमेशा यह इरादा था कि वह इस भूमि को पी. एल. पी. अधिनियम की कठोरता से बाहर रखे। यह निवेदन भी केवल अस्वीकार किए जाने के लिए कहा गया है। अगर ऐसा है। वास्तव में हरियाणा राज्य का इरादा कांत एन्क्लेव को 18 अगस्त, 1992 की अधिसूचना के दायरे से बाहर रखने का था, राज्य को या तो शुद्धिपत्र जारी करने या नई अधिसूचना जारी करने या खसरा संख्या को हटाने के लिए कुछ सकारात्मक कदम उठाने से कोई नहीं रोक सका। 9 अधिसूचना की कठोरता से गाँव अनंगपुर में 16 तक।

अधिसूचना के लागू न होने का आरोप

125. इसके बाद फरीदाबाद परिसर एम. सी. एम. ई. एच. टी. ए. बनाम की धारा 29 की उप-धारा (1) और उप-धारा (7) के प्रावधानों पर भरोसा रखा गया।

(विनियमन और विकास) अधिनियम, 1971 यह प्रस्तुत करने के लिए कि अधिसूचना

दिनांक 18 अगस्त, 1992 नियंत्रित क्षेत्रों पर लागू नहीं था। ये प्रावधान इस प्रकार हैं:

" धारा 29-नियंत्रित क्षेत्र की घोषणा

(1) तत्काल लागू किसी भी कानून के बावजूद, प्रमुख

प्रशासक, अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार की पूर्व अनुमोदन के साथ, फरीदाबाद परिसर की सीमाओं के बाहरी किनारों पर 8 किलोमीटर की दूरी के भीतर के क्षेत्र सहित फरीदाबाद परिसर के भीतर के पूरे या किसी भी हिस्से को नियंत्रित क्षेत्र घोषित कर सकता है।

(2) तक (6) (7) आपत्तियों, सुझावों पर विचार करने के बाद और

प्रतिनिधित्व, यदि कोई हो, और प्रमुख की सिफारिशें

उस पर प्रशासक, राज्य सरकार नियंत्रित क्षेत्र को दर्शाने वाली अंतिम योजनाओं के बारे में निर्णय लेगी और उसमें नियंत्रित क्षेत्र पर लागू प्रतिबंधों और शर्तों की प्रकृति को दर्शाएगी और उसे आधिकारिक राजपत्र में और इस तरह से प्रकाशित करेगी जो निर्धारित किया जाए।

126. उक्त अधिनियम की धारा 2 (च) के संदर्भ में, एक नियंत्रित क्षेत्र का अर्थ है उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत घोषित क्षेत्र को नियंत्रित क्षेत्र घोषित करना। क्षेत्र।

127. हम इस प्रस्तुति की प्रासंगिकता की सराहना करने में असमर्थ हैं क्योंकि, उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अनुसार, फरीदाबाद-बल्लभगढ़ क्षेत्र में स्थानीय अधिकारियों की एक बहुलता थी जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र का एकीकृत विकास संभव नहीं था। नतीजतन, इस क्षेत्र के प्रशासन के लिए एक व्यवस्था तैयार करना आवश्यक था जो तेजी से और एकीकृत करने के उद्देश्यों को पूरा करेगा।

विकास करें और अव्यवस्थित विकास को समाप्त करें। उक्त अधिनियम का उद्देश्य इस उद्देश्य को प्राप्त करना था। स्पष्ट रूप से, इसका 18 अगस्त, 1992 की अधिसूचना से कोई लेना-देना नहीं है। इसके अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 29 (1) उस समय लागू किसी भी कानून से संबंधित है - 18 अगस्त, 1992 की अधिसूचना बहुत बाद में आई और जब उक्त अधिनियम लागू किया गया था तब यह लागू नहीं थी।

अन्य प्रस्तुतियाँ

128. तब यह तर्क दिया गया था कि छूट दी गई थी

17 अप्रैल, 1984 में हरियाणा विकास और [2018] 11 एस. सी. आर. के प्रावधानों के तहत

शहरी क्षेत्र विनियमन अधिनियम, 1975 ने आवेदक या किसी भी मामले में कांत एन्क्लेव को उक्त अधिनियम के सभी प्रावधानों से छूट दी। हालांकि ऐसा हो सकता है, हम यह नहीं देखते हैं कि उक्त अधिनियम आवेदक या कांत एन्क्लेव को 18 अगस्त, 1992 की बाद की अधिसूचना द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से कैसे छूट देता है। उक्त अधिनियम की पी. एल. पी. अधिनियम के प्रावधानों के लिए कोई प्रासंगिकता या संदर्भ नहीं है।

129. आवेदकों के विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया कि संधू में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को देखते हुए, विषय भूमि को 25 अक्टूबर, 1980 को एक मौजूदा वन होना चाहिए था जब वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 लागू हुआ था। हमारी राय में, यह संधू में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की बिल्कुल भी सही व्याख्या नहीं है। यह किसी का मामला नहीं है और वास्तव में यह किसी का मामला नहीं हो सकता है कि 25 अक्टूबर, 1980 के बाद किसी भी क्षेत्र को वन घोषित नहीं किया जा सकता है। यदि यह व्याख्या दी गई थी, तो इस न्यायालय द्वारा 12 दिसंबर, 1996 को पारित आदेश का पूरा उद्देश्य अर्थहीन हो जाएगा क्योंकि इस आदेश के संदर्भ में ही वन भूमि की पहचान करने का निर्देश दिया गया था, भले ही उस भूमि को वन भूमि के रूप में मान्यता न दी गई हो। विद्वान वकील द्वारा दी जाने वाली व्याख्या की स्वीकृति भी पी. एल. पी. अधिनियम को कमजोर कर देगी।

130. आवेदकों के लिए विद्वान वकील का अंतिम निवेदन था कि इस न्यायालय द्वारा 17 मार्च, 1997 और 13 मई, 1998 को पारित आदेशों के संदर्भ में निर्माण किया गया था और वास्तव में, भवन योजनाओं और मंजूरी योजनाओं को संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया था।

इसलिए, इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि कांत एन्क्लेव रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने ईमानदारी से काम किया था और

इसलिए उनके घरों या निर्माणों को सीईसी के सुझाव के अनुसार ध्वस्त नहीं किया जाना चाहिए। 131. इस संबंध में, यह सराहना की जानी चाहिए कि 13 मई, 1998 को संशोधित 17 मार्च, 1997 के आदेश में केवल कानून के अनुसार निर्माण की अनुमति दी गई थी, न कि 18 अगस्त, 1992 की अधिसूचना के अनुसार। यह हमारे सामने किसी भी आवेदक का मामला नहीं है, और वास्तव में यह उनका मामला नहीं हो सकता है, कि इस न्यायालय के आदेशों ने अधिसूचना को पूरी तरह से मंजूरी दे दी और इसे वस्तुतः रद्द कर दिया, भले ही उस समय या आज भी इसे कभी चुनौती नहीं दी गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि आदेशों के बावजूद बहुत बड़े आवासीय परिसरों का निर्माण किया गया है

यह न्यायालय, जिसने आवेदकों को उनकी सनक और कल्पना के अनुसार निर्माण करने की कोई व्यापक अनुमति नहीं दी। ऐसे कारणों के लिए जो बिल्कुल स्पष्ट नहीं हैं, इस तरह के निर्माण की अनुमति एम. सी. एम. ई. एच. टी. ए. बनाम द्वारा दी गई थी।

भारत और ओआरएस का संघ। [मदन बी. लोकुर, जे.]

इस न्यायालय के आदेशों के बावजूद और भले ही 18 अगस्त, 1992 की अधिसूचना ने भूमि को तोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया हो। इन परिस्थितियों में यह मानना मुश्किल है कि आवेदकों और संबंधित अधिकारियों ने ईमानदारी से काम किया था।

132. हमने आवेदकों को नियुक्त करने के लिए विद्वान वकील को कहा था

कांत एन्क्लेव में किए गए निर्माण का विवरण हमारे सामने है। निम्नलिखित चार्ट 24 जुलाई, 2018 को हमारे सामने रखा गया था। यह चार्ट इंगित करता है कि कुल लगभग 1600 भूखंडों में से कहा जाता है कि आर. कांत एंड कंपनी द्वारा बनाए गए थे। कांत एन्क्लेव में, केवल 284 आवासीय भूखंडों और तीन वाणिज्यिक भूखंडों के संबंध में वाहन विलेख निष्पादित किए गए हैं। आवासीय भूखंडों पर केवल 33 घरों का निर्माण किया गया है और ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें से एक भी एक मंजिला झोपड़ी नहीं है।

विशिष्टताएँ

काम हो गया।

एस. नं.

निष्पादित परिवहन कार्य

284 आवासीय भूखंड

1 .

निष्पादित परिवहन कार्य

3 वाणिज्यिक भूखंड

2 .

निर्मित घर और रहने वाले लोग

3 .

33 मकानों

फिल्म स्टूडियो (एफ. एस.-2) का निर्माण

4 .

1 नहीं।

545 के. एल. क्षमता की ऊपरी पानी की टंकी

3 नं.

5 .

निर्मित और कार्यात्मक

1200 के. एल. की भूमिगत जल टंकी

6 .

3 नं.

क्षमता निर्माण और कार्यात्मक पम्पिंग स्टेशन (कार्यात्मक)

1 नहीं।

7 .

पम्पिंग मशीन (सबमर्सिबल पम्प)

8 .

9 नं.

स्थापित और कार्यात्मक

सीवेज उपचार संयंत्र की लागत

1 नहीं।

9 .

रुपये से अधिक। 70,00,000 / - संस्थापित उद्यान (पूरी तरह से विकसित)

10 .

14 नं.

सड़कों का निर्माण पूरा

136460 स्क्वायर। एम. आर. (लगभग।

11 .

20 केएम)

स्ट्रीट लाइट के खंभे लगाए गए और उन्हें ऊर्जा दी गई

627 नं.

12 .

आंतरिक सीवेज पाइप लाइनें पूरी की गईं और

13 .

21150 एम. टी.

आर.

कार्यात्मक

तूफानी जल निकासी का काम पूरा हो गया है और

14 .

18000 एम. टी.

आर.

कार्यात्मक

जल आपूर्ति पाइप लाइनें पूरी की गईं और

15 .

22700 एम. टी.

आर.

कार्यात्मक

लगाए गए पेड़

10000 नं. (सड़क

के किनारे

16 .

साइड और ग्रीन बेल्ट

में)

17 .

265 सी. यू. एम. 3 संख्या वाले फायर हाइड्रेंट/फायर टैंक।

क्षमता

18 .

650 केवी के लिए विद्युत उप-स्टेशन

2 नं.

133. 18 अगस्त, 1992 की अधिसूचना के उल्लंघन की सीमा काफी भयावह है और कोई भी केवल अभूतपूर्व की कल्पना कर सकता है।

आवेदकों द्वारा क्षेत्र को पर्यावरण और पारिस्थितिक क्षति। यह हरियाणा राज्य और उसके अधिकारियों की जानकारी के बिना नहीं हो सकता था, जिन्होंने हरियाणा राज्य के मुख्य सचिव के हलफनामे के बावजूद कानून के शासन की घोर अवहेलना की अनुमति दी। ऐसा लगता है कि हरियाणा में कानून का शासन टूट गया है और केवल आवेदकों के पक्ष में पुरुषों का शासन बन गया है। इस बिंदु पर, हम अरावली पहाड़ियों और उनकी सुरक्षा की आवश्यकता के संबंध में इस न्यायालय के एक फैसले के एक अंश का उल्लेख किए बिना नहीं रह सकते। हम इस संदर्भ से केवल इसलिए बचना चाहते थे क्योंकि यह दोहराए जाने वाला होगा, लेकिन कानून का इस तरह से उपहास और अरावली पहाड़ियों के पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए चिंता की कमी देखना दर्दनाक है। 134. 18 मार्च, 2004-22 के आदेश में रिपोर्ट के पैराग्राफ 58 में इस प्रकार कहा गया थाः

" अरावली, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे विशिष्ट और प्राचीन पर्वत श्रृंखला, दुनिया की सबसे पुरानी भूगर्भीय संरचनाओं में से एक है। भारी क्षरण और उजागर बहिर्वाह के साथ

झरने और बड़ी संख्या में जंगली जानवरों का सामना करना पड़ सकता है। आज अरावली में पर्यावरण में गंभीर परिवर्तन हो रहे हैं। हालाँकि पहाड़ियों में पेड़ों की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं, लेकिन लकड़ी की गुणवत्ता वाले पेड़ लगभग गायब हो गए हैं। आबादी में वृद्धि के परिणामस्वरूप जंगल से मांग में वृद्धि के बावजूद, इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है और न ही इस पर सवाल उठाया जा सकता है कि अरावली पहाड़ों की पारिस्थितिकी को बचाने के लिए कानूनों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। [हमारे द्वारा दिया गया जोर]। राहत

135. अब जो सवाल विचार के लिए बचा है वह यह है कि क्या आवेदकों को कोई राहत देने की आवश्यकता है और यदि ऐसा है तो क्या राहत दी जानी चाहिए।

22 एम. सी मेहता बनाम भारत संघ, (2004) 12 एस. सी. सी. 118 एम. सी. एम. एच. टी. ए. बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। [मदन बी. लोकुर, जे.]

136. इसमें कोई संदेह नहीं है कि अरावली पहाड़ियों के पर्यावरण और पारिस्थितिकी को अपरिवर्तनीय क्षति हुई है। नुकसान हुआ है।

पी. एल. पी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी एक वैधानिक अधिसूचना के बावजूद, कारण या होने की अनुमति दी गई। कानून का उल्लंघन करने में आवेदकों की बेशर्मी काफी स्पष्ट है। लेकिन इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि वन विभाग के आरक्षण के बावजूद हरियाणा राज्य के नगर और ग्राम विभाग द्वारा आवेदकों को दिया गया समर्थन। आर. कांत एंड कंपनी के साथ स्पष्ट सांठगांठ में टाउन एंड कंट्री डिपार्टमेंट ने प्रभावी रूप से बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बगीचे के रास्ते पर ले जाया। सौभाग्य से, उनमें से केवल 33 ने कुछ व्यक्तिगत निर्माण किए हैं-लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि उनका निर्माण 18 अगस्त से पहले हुआ था या बाद में।

1992 .

137. इसलिए, हमारे पास दो श्रेणियों के व्यक्ति हैं जिन्हें आर. कांत एंड कंपनी द्वारा सवारी के लिए ले जाया गया है। पहली श्रेणी में शामिल हैं -

जिन लोगों को आर. कांत एंड कंपनी द्वारा भूमि दी गई है और दूसरी श्रेणी में वे लोग शामिल हैं जिन्हें भूमि दी गई है और जिन्होंने निर्माण किया है। 138. जहां तक प्रथम श्रेणी के व्यक्तियों का संबंध है, उन्हें जो राहत दी जा सकती है, वह उनके निवेश का पूरा धनवापसी है, जिसमें आर. कांत और निवेश की तारीख द्वारा पूरी तरह से देय 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी शामिल है। हम उसी के अनुसार आदेश देते हैं।

139. जहाँ तक दूसरी श्रेणी के व्यक्तियों का संबंध है, जैसा कि हरियाणा राज्य के मुख्य सचिव श्री धरम वीर ने प्रस्तुत किया है।

15 मार्च, 2009 के उनके शपथ पत्र में अपनाने के लिए एक उपलब्ध, उचित और उचित कार्रवाई है। कार्रवाई का यह तरीका कांट एन्क्लेव में किए गए निर्माणों को बचाने या अस्तित्व में रखने की अनुमति देने के लिए है

हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्र विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 23 के तहत 17 अप्रैल, 1984 को आवेदक (आर. कांत एंड कंपनी) को दी गई छूट, लेकिन 18 अगस्त, 1992 से पहले जब पी. एल. पी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिसूचना लागू हुई। 18 अगस्त, 1992 के बाद किया गया कोई भी निर्माण स्पष्ट रूप से अवैध और कानून के विपरीत है और केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश के अनुसार इसे ध्वस्त किया जाना चाहिए। हम श्री धरम वीर और सी. ई. सी. द्वारा किए गए निवेदन को स्वीकार करते हैं और 17 अप्रैल, 1984 और 18 अगस्त, 1992 के बीच किए गए निर्माण में बाधा नहीं डालते हैं। हम उसी के अनुसार निर्देश देते हैं।

8] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

140. हालाँकि, 18 अगस्त, 1992 के बाद किए गए निर्माणों के संबंध में हरियाणा राज्य को निर्देश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

अवैध और अनधिकृत निर्माण। विध्वंस 31 दिसंबर, 2018 को या उससे पहले पूरा किया जाना चाहिए। हम उसी के अनुसार निर्देश देते हैं।

141. गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड बनाम। महाराष्ट्र राज्य 23 इस न्यायालय ने अनधिकृत निर्माण के मुद्दे पर एक कुएँ के दृष्टिकोण से विचार किया-जिसका नेतृत्व राज्य द्वारा उद्यान मार्ग पर किया जाता है, जो अनधिकृत निर्माण के लिए वैधानिक अनुमति देता है। कांत एन्क्लेव के वर्तमान मामले में, नागरिकों को वस्तुतः भारी निवेश करने के लिए ठगा गया है राशियाँ आर। कांत एंड कंपनी और हरियाणा राज्य के नगर और ग्रामीण विभाग को 18 अगस्त, 1992 की वैधानिक अधिसूचना और अधिसूचना द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बारे में पूरी तरह से पता है। आर. कांत एंड कंपनी और हरियाणा राज्य का टाउन एंड कंट्री विभाग

यह भी पूरी तरह से जानते थे कि कांत एन्क्लेव एक वन या वन भूमि है या वन या वन भूमि के रूप में माना जाता है, और इसलिए केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना भूमि पर किया गया कोई भी निर्माण या गैर-वन उद्देश्यों के लिए भूमि का उपयोग, अवैध होगा और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन होगा। इसके बावजूद, आर. कांत एंड कंपनी और हरियाणा राज्य के टाउन एंड कंट्री विभाग के समर्थन से कांत एन्क्लेव में निर्माण (या बनाने की अनुमति) दी गई थी। इसके लिए उन्हें भुगतान करना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि जिन लोगों ने 18 अगस्त, 1992 के बाद निर्माण किया है, वे पूरी तरह से निर्दोष हैं। फिर भी, हरियाणा राज्य के नगर और ग्राम योजना विभाग द्वारा निभाई गई भूमिका को देखते हुए उन्हें क्षतिपूर्ति करना आवश्यक है। भूमि के लिए उन्हें क्षतिपूर्ति करने के लिए, हम आर. कांत एंड कंपनी को निर्देश देते हैं कि वे निवेश की तारीख से प्रति वर्ष 18 प्रतिशत ब्याज के साथ भूमि में अपने निवेश का पूरा धनवापसी दें। हम उसी के अनुसार आदेश देते हैं।

142. जहां तक निर्माण की लागत का सवाल है, हम इसे अस्थायी रूप से 50 लाख पर निर्धारित करते हैं। यह उन लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने बाद में निर्माण किया था। 18 अगस्त, 1992 और जिसके निर्माण को ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया है। आर. कांत एंड कंपनी और हरियाणा राज्य के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा समान अनुपात में राशि का भुगतान किया जाएगा। निर्धारित राशि का भुगतान 31 दिसंबर, 2018 को या उससे पहले करने का निर्देश दिया जाता है। यदि किसी का निर्माण हमारे आदेशों को देखते हुए ध्वस्त किया जाता है, तो वह मात्रा से संतुष्ट नहीं है, वह व्यक्ति है

23 (2014) 3 एस. सी. सी. 430 एम. सी. मेहता बनाम

भारत और ओआरएस का संघ। [मदन बी. लोकुर, जे.]

आर के खिलाफ आगे बढ़ने की स्वतंत्रता पर। कांत एंड कंपनी और हरियाणा राज्य के नगर और ग्राम योजना विभाग ने कानून के अनुसार और आज तक उत्पन्न होने वाली कार्रवाई के कारण के साथ एक दीवानी मुकदमे के माध्यम से।

143. प्रदूषक भुगतान सिद्धांत एक संपूर्ण सिद्धांत है जिसे सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया है और इस न्यायालय के कई निर्णयों के माध्यम से हमारे देश में अपनाया और लागू किया गया है। इस संदर्भ में, हम इस न्यायालय द्वारा दिए गए प्रारंभिक निर्णयों में से दो की ओर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, अर्थात्, भारतीय पर्यावरण परिषद-कानूनी कार्रवाई v. भारत संघ 24 और वेल्लोर नागरिक कल्याण मंच v. भारत संघ। 25 कानून.

दो दशकों से अधिक समय से सुलझाए जाने के बाद, हमारा विचार है कि इसे वर्तमान जैसे मामले में लागू किया जाना चाहिए। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, अरावली पहाड़ियों को हुई क्षति अपरिवर्तनीय है। हालाँकि, शायद कुछ नुकसान को ठीक किया जा सकता है-कम से कम हम ऐसा उम्मीद करते हैं। आर. कांत एंड कंपनी के अनुसार उसने कांत एन्क्लेव के विकास में 50 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। हम सटीक या सटीक आंकड़ा नहीं जानते हैं लेकिन जैसा कहा गया है उसके आधार पर आगे बढ़ते हैं। हमारी राय में, आर. कांत एंड कंपनी से इस राशि का 10 प्रतिशत (यानी 5 करोड़) लोगों के पुनर्वास के लिए जमा करने की आवश्यकता उचित होगी।

क्षतिग्रस्त क्षेत्र। यह राशि आर. कांत एंड कंपनी द्वारा एक महीने के भीतर और किसी भी मामले में अरावली पुनर्वास कोष में जमा की जानी चाहिए।

31 अक्टूबर, 2018 से पहले। मामला केवल नवंबर 2018 की पहली छमाही में इस निर्देश के अनुपालन के लिए सूचीबद्ध किया जाए।

144. हम हरियाणा राज्य के निवर्तमान मुख्य सचिव को 31 दिसंबर, 2018 को या उससे पहले हमारे शेष आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं।

145. मूल आवेदनों का निपटारा ऊपर उल्लिखित शर्तों में किया जाता है।

कल्पना के. त्रिपाठी

आई. ए. एस. का निष्कासन।

24 (1996) 3 एससीसी 212 25 (1996) 5 एससीसी 647